

**कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं
अपील) विनियम , 1987**

**Calcutta Port Trust Employees' (Classification,
Control and Appeal) Regulations , 1987**

संशोधन/ Amendments :-

1. जी एस आर सं. 474 (एफ) दिनांक 20 अप्रैल, 1988
GSR No. 474 (F) dated 20th April 1988
2. जी एस आर सं. 372(ई) दिनांक 27 मार्च, 1992
GSR No. 372 (E) dated 27th March 1992
3. जी एस आर सं. 223(ई) दिनांक 26 मार्च, 2004
GSR No. 223 (E) dated 26th March 2004
4. जी एस आर सं. 284(ई) दिनांक 12 मई, 2006
GSR No. 284 (E) dated 12th May 2004

**कोलकाता पत्तन न्यास
Kolkata Port Trust**

5

C. C. Publications



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411]
No. 411]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1987/श्रावण 19, 1909
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1987/SRAVANA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

बाल-मृतल परिवर्धन अधिनियम
(पठन पत्र)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1987

प्रधिसूचना

सा.का.नि. 700(ब).—केन्द्र सरकार, अध्यात्मन नाम अधिनियम
की धारा 122 की उपधारा (1) के तहत अधि 124 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कनकला पत्तन ज्वाल
बोर्ड द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के तहत संलग्न अनुसूची
में निर्दिष्ट शक्तियाँ पत्तन ज्वाल कर्मचारी (नियंत्रण, निष्काशन एवं शरीर)
विनियम, 1987 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के अन्तर्गत अध्यात्मन में प्रकाशन
के आदेश को प्रस्ताव है।

[फाइनल सं. गी. इन्फो/सी ई धार-7/85]

पी. एम. प्रधान, वरिष्ठ सचिव

प्रधिसूचना

अध्यात्मन नाम अधिनियम, 1963: (1963 का 38) की धारा 28
के तहत अधि 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

और इस विषय में संबंधित नियमों का अधिसूचना करते हुए कनकला प
ट्टन के ज्वाल अध्यात्मन द्वारा निर्दिष्ट विनियम बनाते हैं प्रस्ताव —

भाग I—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इस विनियमों का नाम, कनकला
पट्टे ट्टन कर्मचारी (नियंत्रण, निष्काशन और शरीर) विनियम, 1987
है।

2. लागू होना :—(1) बोधे विनियम कर्मचारियों को छोड़कर विनियम
बोर्ड के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे—

(क) प्राकल्पिक नियोजन वाले व्यक्ति,

(ख) एक महीने से कम अवधि की नोटिस पर सेवा मुक्त किए जाने
प्रोग्य व्यक्ति।

(2) कर्तव्य धारा विशेष अनुसूची में विनियमों के किसी भी अध्यात्मन
कर्मचारियों के लिए यदि विशेष प्रावधान कर्तव्य अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन
को निर्दिष्ट प्राधिकारी बोर्ड से अनुमोदन लेकर कर्मचारी के साथ कर्तव्य
के आधार पर ऐसे विशेष प्रावधान बना सकता है। अध्यात्मन अध्यात्मन
विनियम के अंतर्गत अध्यात्मन अध्यात्मन कर्मचारी अध्यात्मन अध्यात्मन
अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन अध्यात्मन

किसी प्रथम श्रेणी कर्मचारी के मामले में ऐसे विशेष प्रावधानों को बनाने से पहले बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन ले लिया जाएगा।

(3) किसी कठोर या कानून-द्वारा प्रथम अधिकारी/विशेषाधिकारी को अधिष्ठाता :- इन विनियमों के अन्तर्गत द्वारा किसी कर्मचारी को प्राथमिक अधिकार या विशेषाधिकार से संबंधित नहीं रखा जाएगा।

(क) अस्तमय प्रकृत किसी कानून के अधीन या द्वारा, कथन

(ख) इन विनियमों के प्रारम्भ होने के समय बोर्ड और, व्यक्ति के समय हुए किसी प्रभावों कठोर की शर्तों द्वारा।

3. परिभाषा :- इन विनियमों में जब तक विषय संदर्भ से स्पष्टता प्रेषित न हो,

(i) "अधिनियम" से परिचित, केन्द्र बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1963 से है।

(ii) "बोर्ड", "अध्यक्ष", "उप-अध्यक्ष", "विभागाध्यक्ष", के सभी मतम होंगे जो अधिनियम में उल्लेख किए गये हैं।

(iii) अनुशासनिक अधिकारी :- अनुशासनिक अधिकारी से तात्पर्य, इस विनियम के परिच्छेद "क" में निर्धारित अधिकारी से है।

(iv) अग्रणी अधिकारी :- इन विनियमों में निर्धारित उन अधिकारी से है, जिसके पास अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सके।

(v) "कर्मचारी" से तात्पर्य बोर्ड के अधीन किसी भी श्रेणी या पर पर कार्यरत कर्मचारी से है जिसमें विदेश सेवा और बोर्ड के विस्तारण पर स्थायी रूप से कर्मचारी शामिल हैं। इसमें केन्द्र/राज्य सरकार या स्थायी श्रमक दूसरे अधिकारी की बोर्ड के अधीन प्रेषणी केवार्ण भी शामिल है।

भाग II—पदों का वर्गीकरण

4. बोर्ड के अधीन पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा - (1) प्रथम श्रेणी के पद—

(क) विभागाध्यक्षों के सभी पद।

(ख) वे सभी पद जिनके अधिकतम वेतन या वेतनमान (पदों को छोड़कर) 1980-8 या अधिक हों।

(ग) बोर्ड द्वारा विशेष रूप से घोषित प्रथम श्रेणी के सभी पद जो उपर्युक्त (क) व (ख) में नहीं आते हैं।

(2) द्वितीय श्रेणी के पद—

(क) वे सभी पद जिन पर वेतन या वेतनमानों में (पदों को छोड़कर) रु. 1679 से अधिक परन्तु रु. 1980 से कम प्रतिमाह मिलता हो।

(ख) बोर्ड द्वारा विशेष रूप से घोषित द्वितीय श्रेणी के सभी पद जो उपर्युक्त (क) में नहीं आते हैं।

(3) तृतीय श्रेणी के पद—

(क) वे सभी पद जिन पर वेतन या वेतनमानों में (पदों को छोड़कर) रु. 924 प्रतिमाह से अधिक परन्तु रु. 1679 प्रतिमाह से अधिक नहीं मिलता है।

(ख) बोर्ड द्वारा विशेष रूप से घोषित तृतीय श्रेणी के सभी पद जो उपर्युक्त (क) में नहीं आते हैं।

(3) चतुर्थ श्रेणी के पद—

बोर्ड द्वारा विशेष रूप से घोषणा प्रेषित पदों को छोड़कर वे सभी पद जिनके वेतन/वेतनमानों में (पदों को छोड़कर) रु. 927 या कम प्रतिमाह मिलता है।

5. नियुक्ति अधिकार :- बोर्ड के अधीन किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर नियुक्ति की शक्तियों का प्रयोग इनके द्वारा अनुसूची "ख" में निर्धारित नियुक्ति अधिकारों करने। परन्तु उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित नियुक्ति अधिकारों जिन नियुक्ति संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने हैं नियुक्ति संबंधी उन शक्तियों का प्रयोग उन अधिकारों से बड़े प्राधिकारी को कर सकते हैं।

भाग III—निलम्बन

6. निलम्बन :- (i) नियुक्ति अधिकारी या कोई अधिकारी कर्मचारी जिसके अग्रणी है या अनुशासनिक अधिकारी किसी कर्मचारी को निलम्बन कर सकता है।

(क) कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रेषित है या विभागाधीन है, या

(ख) कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध प्रत्यक्ष अपराध की जानकारी प्राप्त हो या सूचना प्राप्त हो।

परन्तु अधिनियम को ही धारा 24 के अन्वय (i) के अन्तर्गत (क) में उल्लिखित कर्मचारी से संबंधित इस प्रकार का कोई आदेश जब तक प्रभावही नहीं होता जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन न मिल जाय।

(ii) कोई कर्मचारी जो बीजवारी या अन्य परिषदों में 48 घंटे से अधिक कानूनी परिषदा में रखा हो व ऐसी परिषदा में रहने का आधिकारिक तारीख से पहले आदेश होने तक उपर्युक्त अधिकारों के अन्तर्गत द्वारा निलम्बित माना जाएगा।

(iii) जहाँ किसी कर्मचारी को निलम्बन की अवधि में बर्खास्तित किया गया है और इन विनियमों के अधीन या अधीन में ऐसी शक्ति प्राप्त कर दी गई हो जहाँ यदि किसी अन्य निर्देश के साथ धारण प्राप्त या कार्यवाही के लिए समझा जाता है तो कार्यवाही बर्खास्त किया, समाप्त या अनिर्णय सेवा नियुक्ति के मूल आदेश होने की तारीख तक आदेश होने तक वह कर्मचारी लगातार निलम्बन आदेश के अन्तर्गत हो माना जाएगा।

(iv) जहाँ किसी कर्मचारी को बर्खास्तित, सेवा समाप्त या अनिर्णय सेवा नियुक्ति की शारीरिक शक्ति, किसी विधि न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई हो, या अन्य (पहुँच) घोषित कर दी गयी परन्तु अनुशासनिक अधिकारी मामले को उन परिस्थितियों जिनके आधार पर कर्मचारी बर्खास्तित, सेवा समाप्त या अनिर्णय सेवा नियुक्ति किया गया हो पर पुन जांच करने का निराकरण करता है तो बर्खास्तित, सेवा समाप्त या अनिर्णय सेवा निवृत्त के मूल आदेश पारित होने की तारीख से पहले आदेश होने तक वह कर्मचारी लगातार उपर्युक्त अधिकारी द्वारा निलम्बित किया हुआ माना जाएगा।

(v) (क) इन विनियम के अन्तर्गत पारित निलम्बन आदेश का पारित माना गया निलम्बन आदेश, किसी भी समय निलम्बन आदेश पारित करने वाले अधिकारी या उसके अन्य अधिकारी द्वारा उठाया/हटाया जा सकता है। परन्तु धारण प्राप्त के लिए जब तक कोई आदेश नहीं दिया जावेगा जब तक कि ऐसी शक्ति नहीं परागत में मामले के निराकरण को न देख कर कुछ रूप से तत्कालीन आधार पर आदेश पारित किया हो, प्रेषित हो।

(ख) जब कोई कर्मचारी निलम्बित हो (चाहे अनुशासनिक कार्यवाही या अन्य मामले में) और उस निलम्बन अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही शुरू हो तो उसका अधिकारी उसे निलम्बित करने के कारणों को परिशिष्टित कर यह निर्देश देना कि वह कर्मचारी को कार्यवाही या उपरोक्त से किसी एक के चयन करने तक निलम्बित रहेगा।

(vi) इस विनियम के अन्तर्गत प्राविष्ट नियोजन आदेश या प्राविष्ट नाम का निस्संकेत आदेश इसे प्राविष्ट करने वाले अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो उसके उच्च प्राधिकारी हो, किसी भी समय रद्द कर सकता है।

भाग--IV

पक्षों के पक्षार

7. पक्षों के पक्षार एवं संबंधित उचित कारणों के आधार पर किसी भी कर्मचारी पर निम्नलिखित दण्डों को आरोपित किया जा सकता है:--

तथा दण्ड:

(i) जित्वा;

(ii) परोक्ष प्रति रोकना;

(iii) आदेशों के अन्वयन या अत्याचारों के कारण हुए और जो व्यक्तिगत या पूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए वेतन के अन्वयन

(iv) वेतन वृद्धि रोकना;

युक्त दण्ड

(v) निर्धारित अवधि के लिए नियंत्रण सत्र के समय वेतनमान में अत्यधिक अथवा निम्नतर के साथ कि क्या ऐसी पदावधि को अवधि में कर्मचारी वेतन वृद्धि पाएगा, या नहीं और क्या ऐसी अवधि को समाप्त के बाद क्या पदावधि उसके सारी वेतन वृद्धि को प्रभावित करती या नहीं।

(vi) नियुक्ति समय वेतनमान में पदावधि, वेतन या पक्षों की कि का अन्तः कर्मचारी के समय वेतनमान के अन्वयन में बाधक होगा, अर्थात् या पक्षों को उसकी पदावधि हुई या समय वेतनमान में उसकी अवधि को पक्षों के बारे में ज्ञान बिना निवेदन के, वेतन या पक्ष अथवा कर्मचारी को पदावधि हुई है तथा उस समय वेतनमान, वेतन, पक्षों में बाधकों के समय उसका परिष्कार एवं वेतन।

(vii) अनिर्धारित सेवा निवृत्ति;

(viii) सेवा समाप्ति को सारी अवधि में नोकरों के लिए प्रयोग्यता नहीं होगी।

(ix) कार्यवाही जो साधारणतः-- सभी क्षेत्रों में नोकरों के लिए प्रयोग्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:--इस विनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही "कार्यवाही" की परिभाषा में नहीं की जाएगी।

(i) इस विनियम या अधिनियम से संबंधित पक्षों या निवृत्तियों को पक्षों के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा किमानोप परोक्ष नाम न करने पर रोकी गई वेतन वृद्धियाँ;

(ii) दण्डारोप में अनुवीक्ष्य कर्मचारी के समय वेतनमान में अत्याचार पर रोक देना;

(iii) मूल या अत्याचारक वर पर कार्यरत कर्मचारी के उस पर पक्षार या विचार करने के बाद परोक्ष न करना;

(iv) प्राविष्ट को छोड़कर प्रशासनिक आधार पर अंतर्गत पर पर अत्याचार रूप में काम कर रहे कर्मचारी को परीक्षण के बाद उच्च पद/वेतन के प्रयोग्य पक्षों के लिए पर नियंत्रण पर या पक्षों में उनकी पदावधि करना;

(v) परीक्षा अवधि पर कार्यरत किसी कर्मचारी को उच्च पद के उस कर्मचारी के स्थायी परीक्षणी पर परीक्षा के दोषग्रह/परिष्कार विस्तारित अवधि के बाद, निवृत्ति को पक्षों के अंतर्गत या परीक्षा पक्षों के प्रयोग्य पदावधि करना;

(vi) केंद्र सरकार या प्राविष्टों या केंद्र सरकार के नियंत्रण-धीन उपक्रम के भाग में कर्मचारी को वेतनों को प्रदान करना;

(vii) परीक्षणीयता या सेवा निवृत्ति के आधारों के अनुसार किसी कर्मचारी को अनिर्धारित सेवा निवृत्ति;

(viii) सेवा समाप्ति:--

(क) परीक्षाधीन कर्मचारी को परीक्षा के दोषग्रह पर परीक्षा विस्तारित अवधि के बाद परीक्षा पर निवृत्ति की जाती के प्रयोग्य सेवा समाप्ति;

(ख) कक्ष पर उच्च उच्च कर्मचारियों को कक्षा को पक्षों के अनुसार सेवा समाप्ति;

(ग) किसी अत्याचारी कर्मचारी से संबंधित आदेशों के अनुसार सेवा समाप्ति।

(घ) अत्याचार कटौती पक्षों पर कर्मचारी को सेवा समाप्ति।

(2) विनियम 7 के खण्ड (iii) में उल्लिखित दण्ड अनुवीक्ष्य अंतर्गत, 1936 और अनुवीक्ष्य अनुवीक्ष्य अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को पक्षों के अंतर्गत लागू होगा।

7(क) पक्षों से पूर्व जिसे पक्ष सरकार के लिए पक्ष:--विनियम 7 में निर्धारित दण्डों को अनुवीक्ष्य एवं प्राविष्ट कारणों के लिए पक्ष: [कि उच्च पक्षों पर अत्याचार है, किसे कर्मचारी पर अत्याचार निवृत्ति को ही पक्षों द्वारा हुई हो, नोकरों से पक्षों के लिए पक्षों के अंतर्गत में यदि सरकार इस प्रकार का ही अत्याचार अनुवीक्ष्य अंतर्गत उच्च पक्षों नोकरों से हो तथा जो उच्च सेवा में बने पक्षों में अत्याचार या अनुवीक्ष्य कर दे।

7(ख) अनुवीक्ष्य प्राविष्टाचार:--अनुवीक्ष्य "8" में अंतर्गत प्राविष्टाचार, कि उच्च अनुवीक्ष्य में अंतर्गत है किसे को कर्मचारी पर दण्ड आरोपित करने के लिए समय नहीं।

पक्ष अनुवीक्ष्य सरकार पक्षों के पक्षों को कर्मचारी पर अंतर्गत 7 में उल्लिखित कोर्षों को दण्ड आरोपित कर नहीं है।

7(ग) कर्मचारी प्रारंभ करने वाले पक्षों के पक्षों:--(1) अंतर्गत --

(क) किसी भी कर्मचारी के अत्याचार अनुवीक्ष्य अंतर्गत आचार कर सकते हैं;

(ख) किसी भी ऐसे प्राविष्टों को जो प्राविष्टों किसी भी कर्मचारी के विषय इन विनियमों के अंतर्गत विनियम 7 में निर्धारित कोर्षों को दण्ड देने में अंतर्गत को अनुवीक्ष्य अंतर्गत आचार करने के लिए निवेदन दे सकते हैं।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत अनुवीक्ष्य प्राविष्टों पर पक्षों दण्डों में से कोई भी दण्ड आरोपित करने के लिए समय होने पर को इन विनियमों के अंतर्गत कोर्षों को अनुवीक्ष्य प्राविष्टों विनियम के अंतर्गत (i) से (vi) में निर्धारित दण्डों में से कोई भी दण्ड जोकि विनियम के अंतर्गत (v) से (viii) निर्धारित से किसी भी कर्मचारी पर आरोपित करने के लिए कर्मचारी के विषय अनुवीक्ष्य अंतर्गत आचार कर सकते हैं।

8. पक्षों कार्यवाही आरोपित करने की प्रक्रिया:--(i) अनुवीक्ष्य विनियम 7 के खण्ड (v) में (viii) तक में निर्धारित किसी भी पक्षों कार्यवाही को आरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं प्राविष्ट किया जाएगा जब तक इस विनियम के अनुसार प्राविष्ट नहीं कर ली जाती है।

(2) अनुवीक्ष्य प्राविष्टों के अनुसार पक्षों किसी कर्मचारी के अत्याचार या दुष्कार के अनिर्धारित को अंतर्गत आचार के लिए आच अंतर्गत हो तो पक्ष अंतर्गत आचार के लिए किसी भी अंतर्गत, अंतर्गत या अंतर्गत प्राविष्टों (जिसे पक्षों अंतर्गत अंतर्गत) को निवृत्ति कर सकता है।

लिपि
बोध
करें
लेख

(3) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं करण वाले का जॉब के लिए जांच प्राधिकारी को नियुक्त करना चाहे, वह अपने तर्क में अधि-योग प्रस्तुत प्रमाणों कि जो लोक सेवा को एक श्रेयक द्वारा नियुक्त कर सकता है।

(4) जहाँ जांच करना प्रस्तावित हो, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी तैयार करेगा—

- (i) धनभार या दुर्भ्यंहार आरोप के निश्चित एवं सुस्पष्ट अनुच्छेद में आरोप।
- (ii) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के सम्बन्ध में धनभार या दुर्भ्यंहार के आरोपण का विवरण।
- (iii) प्रत्येक को सूची और कहाँ को सूची विनये द्वारा प्रस्तुत आरोप के अनुच्छेदों की पुष्टि की जाएगी।

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को आरोप के अनुच्छेदों की प्रतिनिधि प्रस्तुत के आरोपण या दुर्भ्यंहार का विवरण तथा प्रत्येक गवाहों को सूची विनये द्वारा आरोप के हर अनुच्छेद की पुष्टि की प्रस्तावना की नहीं है, देना या देने की व्यवस्था करेगा। तथा जब कर्मचारी से प्रतीक्षा करेगा कि वह क्या निर्धारित क्षमता के अन्दर एक निश्चित स्थानों या करे कि क्या वह आरोप के किसी या सभी अनुच्छेदों को स्वीकार या धस्वीकार करता है।

(6) कर्मचारी के निश्चित विवरण की प्रकृति या निर्धारित प्रकृति के अन्दर निश्चित विवरण न होने पर उपनिबन्ध (3) के अन्तर्गत नियुक्त जांच प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जाएगी।

यद्यपि जिन आरोपों को कर्मचारी निश्चित रूप में स्वीकार कर ले उनको जांच आवश्यक नहीं तथापि अनुशासनिक प्राधिकारी प्रत्येक आरोप के बारे में अपना मत प्रतिनिश्चित करेगा।

(7) अनुशासनिक प्राधिकारी जहाँ वह जांच अधिभार नहीं है जांच अधिभारी को निम्नलिखित साधनता प्रेषित करेगा—

- (i) आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रतिनिधि तथा धनभार या दुर्भ्यंहार के आरोपण का विवरण।
- (ii) यदि कर्मचारी ने कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किया है तो उसकी एक प्रतिनिधि।
- (iii) कहाँ की सूची तथा उन विनियम 4 में उल्लिखित प्रत्येक को एक प्रतिनिधि।
- (iv) उन विनियम 5 में उल्लिखित प्रत्येक के अनुच्छेदों की सिद्ध करने के लिए प्रमाण।
- (v) उपस्थान अधिभारी को नियुक्त के आरोप को एक प्रतिनिधि।

(8) कर्मचारी को आरोप के अनुच्छेद की प्रति न.रेक में 15 दिन के अन्दर उत्तर देना तथा उसी समय उसी स्थान पर जहाँ उसे जांच अधिभारी ने निश्चित रूप में उपस्थित होने की नोटिस दी है कर्मचारी को जांच अधिभारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(9) कर्मचारी अपने मामले में उत्तर देने के लिए किसी दूसरे कर्मचारी या किसी दूसरे लोक सेवक (जिसे प्रायः सहायक अधिभारी कहा जाएगा) को सहायता ले सकता है लेकिन किसी विधि व्यवस्था की सहायता नहीं ले सकता तथापि सुझाव न बहुतों में या कर्मचारी यदि चाहे तो किसी व्यक्ति से प्रतिनिधि जो पेटेंट या कर्मचारी न हो, को सहायक अधिभारी रख सकता है।

(10) यदि कर्मचारी अपने विरुद्ध लगे हुए आरोप के अनुच्छेदों को निश्चित रूप में धस्वीकार करता है, या कोई निश्चित प्रमाण प्रेष नहीं किया हो, जांच अधिभारी के समक्ष उपस्थित होगा है, जो वह जांच अधिभारी उसने यह सुझाव कि क्या वह आरोपों है या अन्वय के

लिए कोई तर्क देना चाहता है और यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद का अन्वय स्वीकार करता है जांच अधिभारी उसने अपने को अधिभारित करेगा। देकार्त करने के बाद उस पर कर्मचारी का हस्ताक्षर करेगा। जांच अधिभारी आरोप के इन अनुच्छेदों के प्रति लोक सेवा के निम्नलिखित विधि व्यवस्था को स्वीकार करेगा या नहीं किया है, को विवरण तैयार करेगा।

(11) यदि कर्मचारी निर्धारित समय के अन्दर उपस्थित नहीं हो सका या उपस्थित होने से इंकार करता है या बहुत करत नहीं करती, तो जांच अधिभारी उपस्थान अधिभारी के सह प्रतीक्षा करेगा कि वह ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करे जिसके द्वारा वह आरोप के अनुच्छेदों को सिद्ध करने का प्रस्ताव करता है और वह प्रमाणों आरोप नोटिस 30 दिन से अधिक नहीं होने तक के लिए मामले को उपस्थित करेगा। प्रत्येक अधिभारित करने के बाद कि कर्मचारी अपने प्रमाण को आरोपों के प्रतीक्षा से लिए—

- (i) उन विनियम 4 में उल्लिखित सूची में निर्धारित प्रमाणों को आरोप के 5 दिन के अन्दर प्रतीक्षा करे।
- (ii) प्रत्येक आरोप में जांच करने के लिए गवाहों की एक सूची प्रस्तुत करे।
- (iii) किसी भी प्रतीक्षा को रोक करने के लिए जो कि न्यायिकों के कम्पे में है लेकिन उन विनियम 4 के उल्लिखित सूची में नहीं है, प्रतीक्षा के 10 दिन के अन्दर रोक करने के लिए नोटिस देना।

नोट—कर्मचारी यह स्वीकार कि जांच के प्रमाण देना लिए जाने वाले प्रत्येक आरोप गवाहों से संरक्षित है।

(12) जांच अधिभारी प्रत्येक प्रमाण प्रेषित नोटिस करने के बाद अधिभारी को जिसके कम्पे में प्रतीक्षा रखे जाते हैं, उसे उसकी एक प्रतिनिधि इस भाग के साथ कि भाग में निर्धारित आरोप तक प्रतीक्षा को प्रेष करे।

परंतु जांच अधिभारी को यह में यदि अपने सर्व प्रतीक्षा मामले के संबंधित न हो तो वह उन मामलों को निश्चित रूप में रिहाई आरोप तथा उन्हें देने से धस्वीकार कर सकता है।

(13) वह अधिभारी जिसके अधिभारण का कम्पे में जाने सर्व प्रतीक्षा है, उसे अधिभारी के साथ नोटिस में निर्धारित आरोप, स्थान तथा समय पर प्रेष करने की जांच अधिभारी के समक्ष प्रेष करने की मान्यता करेगा।

परंतु जाने सर्व प्रतीक्षा जिन अधिभारी के अधिभारण का कम्पे में है यदि प्रतीक्षा प्रेष करना लोक सेवा बोर्ड के दिन के विरुद्ध है तो वह विवेकाधिकार का दावा कर सकता है तथा होने पर अधिभारी जांच अधिभारी को सहायक अधिभारी करेगा। जांच अधिभारी ऐसा सूचना जाने के बाद उसे कर्मचारी को सूचित कर देना तथा अपने प्रतीक्षा प्रेष करने प्रमाणों प्रकृति भाग को साक्ष्य ले लेगा।

(14) जांच के लिए निर्धारित आरोप को नोटिस एवं प्रमाणों प्रमाण जिसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को सिद्ध करने का प्रस्ताव है जांच अधिभारी द्वारा या उसी आरोप से प्रेष किया जायेगा। गवाहों के स्थान उपस्थान अधिभारी या उसी आरोप में निष्ठा रावेगा तथा विरुद्ध कर्मचारी या उसी आरोप से निष्ठा रावेगा। उपस्थान अधिभारी उन दिनों पर दिन पर विरुद्ध ही प्रमाण है जांच अधिभारी को सहायक विधि विरुद्ध करने के अन्दर होने। लेकिन वे किसी सर्व मामले में प्रतीक्षा नहीं कर सकें। जांच अधिभारी गवाहों से लेगा उचित कम्पे में प्रमाण प्रेषित करेगा है।

(15) मामले के समाप्त होने से पहले बीच अधिकारी अनुशासनिक अधिकारों को उसकी सभ्य बूझ पर उपस्थापित अधिकारों को ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जिसे आरोप नग में शामिल नहीं किया गया हो, या यह धरने क्षण में नया प्रमाण हो किसी भी दस्तावेज की फिर से नया प्रमाण हो या उसे विरुद्ध कर सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को न्याय दिये न्यायवादी न्याय हो को दस्तावेजों बनायीं को देखाई करने में सह्य निरीक्षण करने या विरुद्ध करने का प्रयत्न किया जायेगा।

(16) जब अनुशासनिक अधिकारों को उत्तर में मामले की प्रस्तुति समाप्त हो जाए तो कर्मचारी इच्छानुसार अपना प्रयत्न निश्चित या परिष्कृत रूप में देगा। यदि जवाब मौखिक है तो यह रिपोर्ट किया जाएगा और कर्मचारी उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। दोनों मामलों में कर्मचारी के प्रयत्न को एक प्रति, अनुशासनिक अधिकारों को यदि कोई निवृत्त हो तो दी जाएगी।

(17) जब कर्मचारी के मामले में न्याय प्रदान किया जायेगा तब कर्मचारी को नौकरी से न्याय प्रदान कर सकता है। इनके बाद कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दुष्प्रचार प्रयत्न को अधिकारी द्वारा अनुशासनिक अधिकारों के लिए संबंधित प्रमाणों के प्रयोग को करेगा।

(18) कर्मचारी द्वारा ज्ञान की प्रकिया रूप कर लिए जाने के बाद, बीच अधिकारी कर्मचारी में ऐसी कार्य परिस्थितियों के बारे में जो उनके विरुद्ध प्रयोज्य होती हैं अद्यतनता वांग सकता है या प्रश्न पूछ सकता है।

(19) प्रमाण प्रस्तुती पूरा करने के बाद बीच अधिकारी पहले उन स्वयं अधिकारों को बाद सुनने के बाद कर्मचारी की बात सुने या उन्हें 15 दिन के भीतर उसी तिथि में उचित संबंधित मामले में सविधान विचार लिखित रूप में प्रेष करने की अनुमति देगा।

(20) यदि कर्मचारी उन नियम (3) के उल्लिखित धरने प्रमाण का लिखित प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक नहीं प्रस्तुत करता है या स्वयं प्रमाण प्रदान करता अधिकारों की मर्यादा उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में असफल होता है तो बीच अधिकारी इच्छानुसार जांच करेगा।

(21) किसी जांच के मामले में जहाँ बीच अधिकारों ने किसी कर्मचारी का पूरा या आंशिक प्रमाण रिपोर्ट करने के बाद हट गया है या इसके बीच अधिकारों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है तो उत्तरकर्ता बीच अधिकारी ऐसे रिपोर्ट किए गए धरने व प्रमाण के बीच अधिकारी या आंशिक रूप से रिपोर्ट किए गए धरने व पूर्व के बीच अधिकारों के रिपोर्ट के आधार पर उचित अधिकारों के बीच संबंधित मामलों को कारवाई करेगा।

परन्तु यदि उत्तरकर्ता बीच अधिकारों के मतानुसार, स्वयं के लिए पहले जांच किए जाने की दुष्प्रचार जांच आवश्यक हो तो यह पीछे खींचे गए मामलों को दुष्प्रचार युक्त सकता है, उचितकर कर सकता और दुष्प्रचार प्रमाणों पर कर सकता है।

22. (i) जांच समाप्त होने पर उत्तर जांच रिपोर्टों के बीच निम्नी बातें होंगी—

- (क) आरोपों का आरोप, कथनार या दुष्प्रचार का परिचय ;
- (ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक आरोप के प्रमाण-प्रयत्न का सारांश ;
- (ग) प्रत्येक आरोप के बारे में मामलों का सारांश ;
- (घ) प्रत्येक आरोप का निष्कर्ष व उसके कारण ;

परिष्कृत— यदि बीच अधिकारों को राय में जांच की कार्यवाही में किसी आरोप के अनुच्छेद का अभाव हुआ हो तो

यह इन आरोप के अनुच्छेदों पर अपने विचारों को रिपोर्ट करेगा ;

परन्तु ऐसे आरोप के अनुच्छेदों पर निष्कर्षों का रिपोर्ट तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कर्मचारी उन मामलों को जिन पर ऐसे आरोप के अनुच्छेद आधारित है को स्वीकार नहीं कर लेता है या कर्मचारी को ऐसे आरोप के अनुच्छेदों के विषय विचार करने के लिए प्रयत्न प्रदान किया गया हो।

(ii) जहाँ अनुशासनिक अधिकारों से बिना बीच अधिकारी ही नौ नौ जांच का रिपोर्ट होने निम्नी बातों को शामिल करने हुए अनुशासनिक अधिकारों को भेजेगा—

- (क) अनुशासनिक नियम (1) के अंतर्गत तैयार की गई जांच रिपोर्ट ;
- (ख) उत्तरकर्ता उन नियम (5) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए कोई प्रमाण का लिखित प्रमाण हो तो ;
- (ग) जांच के दौरान प्रस्तुत जवाबों का सारांश जो तब ;
- (घ) उत्तरकर्ता उन नियम (19) के अनुसार यदि कोई लिखित प्रतिवेदन प्रमाण हो; हाँ, और
- (ङ) जांच के संबंधित अनुशासनिक या बीच अधिकारों का कोई प्रमाण हो, तो

23. उत्तर रिपोर्ट पर कार्यवाही—(1) (i) अनुशासनिक अधिकारों यदि स्वयं बीच अधिकारों नहीं हो, तो कारणों की प्रकिया नग में प्रतिनिधित्व करने मामले को समे जांच करके रिपोर्ट देने के लिए बीच अधिकारों के पास भेज देगा और बीच अधिकारों जाने की कार्यवाही के लिए जांच करेगा।

(2) रिपोर्ट पर प्रमाण प्रमाण के आधार पर अनुशासनिक अधिकारों यदि बीच अधिकारों के बीच संबंधों किता आरोप के निष्कर्ष के प्रयत्न हो तो अनुशासनिक का कारण निष्पक्ष हुए ऐसे आरोप पर अपना निष्कर्ष रिपोर्ट करेगा।

(3) यदि किसी एक या इससे आरोपों के निष्कर्षानुसार अनुशासनिक अधिकारों का मत है कि कोई आरोप आरोपित करने को आवश्यक नहीं तो यह संबंधित कर्मचारी को बीच न्याय/ आरोप मुक्त करने का प्रमाण प्रमाण कर सकता है।

(4) यदि अनुशासनिक अधिकारों आरोप के सभी या किसी एक अनुच्छेद में संबंधित निष्कर्षानुसार विनियम 7 के अंत (i) से (iv) में निर्धारित दण्डों को कर्मचारी पर आरोपित करने का राय दे तो विनियम 9 के अंतर्गत के होते हुए भी उन दण्ड को लागू करने संबंधी सलाह देगा।

(5) जांच के दौरान प्रेष किए गए प्रमाणों के आधार पर निष्कर्षानुसार विनियम 7 के अंत (v) से (ix) में निर्धारित दण्डों को कर्मचारी पर लगाने का राय दे तो यह स्वयं दण्ड देने संबंधी सलाह देगा तथा ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि यह कर्मचारी प्रस्तावित दण्ड जिसे कि लागू किया जायेगा, पर प्रतिवेदन देने के लिए आवश्यक प्रदान करे।

9. छोटे मामलों में आरोपित करने को परिष्कृत—(1) विनियम के उपविनियम (4) के अंतर्गत के अंतर्गत तथा विनियम 8 के अंतर्गत अंत (i) से (iv) की गई प्रावधानों तक आरोपित नहीं का न्यायी अंत तक कि—

(क) उसे लिखित रूप से उन अधिकारों को प्रदान करने के आधार पर प्रस्तावित प्रावधान आरोपित को जाना है, प्रस्तावित प्रावधान को लिखित प्रदान और ऐसी प्रावधान के विषय यदि कर्मचारी कोई प्रतिवेदन देना चाहे तो उसे इसकी प्रमाण प्रदान न कर दिया जाए ;

(ब) प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनिक अधिकारी को जांच में जांच की आवश्यकता है विनियम 8 के उप-विनियम (4) से (22) में निर्धारित उम्र के जांच का प्राधान्य करना ;

(ग) कर्मचारी द्वारा खंड (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभिवेदन, यदि कोई हो का प्रथम घोर खंड (ख) के तहत हुई जांच, यदि कोई हो, जो कि विचारार्थ हो, और

(घ) प्रत्येक या दुर्घटना के प्रत्येक आरोपन के निष्कर्ष का अभिलेख करना ।

(2) ऐसे मामलों को कार्यवाही के रिपोर्ट में नीचे लिखी बातें शामिल रहेंगे—

(क) प्रस्तावित कार्यवाही को सूचना को एक प्रति कर्मचारी को दा ज्ञापनी ;

(ख) कर्मचारी पर लगाए गए अभियोगों के विवरण को एक प्रति ;

(ग) कर्मचारी को अभ्यावेदन यदि कोई हो ; और

(घ) जांच के दौरान पेश किए गए प्रमाण ;

(ङ) प्रत्येक या दुर्घटना के प्रत्येक आरोपन का निष्कर्ष

(च) मामले पर प्राप्ति प्रत्येक कारणों का उल्लेख करते हुए ।

(3) उप विनियम (1) के खंड (ख) में किसी व्यवस्था के होते हुए भी, यदि किसी मामले में यह प्रस्तावित है, अभिवेदन पर विचार करने के बाद यदि कोई हो, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत, तीन वर्षों के अधिक समय के लिए वेतन वृद्धि को रोक रखना या किसी भी अवधि के लिए अवकाश प्रदान के साथ वेतन वृद्धि को रोक रखना या यदि वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड कर्मचारी को देय रोकना राशि पर संभवतः विपरीत प्रभाव डाले और विनियम 8 के उप विनियम (4) से (22) में निर्धारित तरीके से सजा जांच होना ।

9. कार्यवाही की सूचना—अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किए गए आरोपों को कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। कर्मचारी को जांच की रिपोर्ट यदि कोई हो, की एक प्रतिलिपि दी जायेगी। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई जांच और उसके निष्कर्षों और हर आरोप के अनुच्छेद के निष्कर्षों को एक प्रतिलिपि या जहाँ अनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी न हो, वहाँ जांच अधिकारी की रिपोर्ट को एक प्रतिलिपि और इसके समक्ष होने के कारणों का सारांश के साथ, यदि कोई हो, जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ अनुशासनिक अधिकारी के निष्कर्षों का एक विवरण भी दिया जायेगा ।

10. सामान्य जांच—प्रविनियम के उपबंधों के अंतर्गत—(1) जहाँ किसी मामले में दा या दो से अधिक कर्मचारी सम्बंधित हों, वहाँ ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवा से अर्थात् करने के लिए प्राप्ति आरोपित करने में समस्त अनुशासनिक अधिकारी ऐसा आदेश प्राप्ति करेगा कि सभी कर्मचारियों के विरुद्ध एक समान एक ही जांच कार्यवाही होगी ।

परन्तु यदि प्रविनियम की धारा 24 की उपधारा (1) खंड (क) में उल्लिखित परधारी कोई कर्मचारी ऐसी सामान्य जांच में प्राप्ति हो, सामान्य जांच का आदेश प्राप्ति करने से पहले अनुशासनिक अधिकारी, केन्द्र सरकार की पूर्ण सहमति प्राप्त कर लेगा ।

(2) इस प्रकार का कोई भी आदेश विशेष रूप से उल्लेख करेगा—

(i) ऐसा ही सामान्य कार्यवाही के अंतर्गत के वह अधिकारी जो अनुशासनिक अधिकारी के रूप में काम करे ।

(ii) विनियम 7 में दो गई बातें शक्तियों की आरोपित करने के लिए अनुशासनिक अधिकारी समस्त ही ; और

(iii) कार्यवाही में विनियम 8 या 9 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया ।

11. निरूपित मामलों में विशेष प्रक्रिया—प्रविनियम के उपबंधों के अंतर्गत तथा कर्मचारी पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और पगोल) विनियमों में किसी बात के होने पर भी—

(i) जहाँ किसी कर्मचारी पर उस "आचारण" के आधार पर प्राप्ति आरोपित की जाती है जिससे उस पर कर्मचारी आचारण के आरोप का मान्यता बनता हो ; या

(ii) जहाँ अनुशासनिक अधिकारी संतुष्ट हो और संतुष्ट होने का कारण लिखित रूप में रिपोर्ट कर में और प्रत्यक्ष का अनुशासन प्राप्ति कर लें कि उक्त विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक न होगा ;

(iii) जहाँ प्रत्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य या कर्मचारी पोर्ट के मुरता हितों में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन सर्वोत्तम नहीं है ; अथवा

(iv) जहाँ संकट विनियम प्रविनियम, 1959 (1958 का प्रविनियम 44) के भाग 12 के प्रावधानों के अनुसार जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर कि कर्मचारी पर प्राप्ति आरोपित किए जाने का प्रस्ताव किया गया हो, अनुशासनिक अधिकारी या प्रत्यक्ष मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए ऐसा उचित समझें जैसे आदेश प्राप्ति कर सकते हैं ।

परन्तु प्रविनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसी कर्मचारी पर इस तरह के आदेश प्राप्ति करने से पहले केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन लिया जायेगा ।

12. केन्द्र सरकार प्राप्ति की सेवा में चयन वगैरे कोई अधिकारियों के बारे में प्रावधान—(1) जहाँ कोई के किसी कर्मचारी को सेवाई केन्द्र, राज्य सरकार या प्राधिकारी या उसके उपरान्त, स्थानीय निष्कर्ष या दूसरे प्राधिकारी (जिन्हें इस विनियम में प्राप्ति उधार देने वाले प्राधिकारी कहा जाएगा) को उधार से जाली है वहाँ उधार देने वाला प्राधिकारी वेदों कर्मचारी को निर्वाचित करने न उसके अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकार रखेगा ।

परन्तु उधार देने वाला प्राधिकारी उन परिस्थितियों का किसी प्रयोग कर्मचारी के अन्तर्गत कार्यवाही या निराकरण किया गया है विवरण तुरन्त प्रत्यक्ष को भेज देगा ।

(2) कर्मचारी के अन्तर्गत की गयी अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर—

(i) यदि उधार देने वाले प्राधिकारी का मत है कि विनियम 7 के खंड (i) से (iv) के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई प्राप्ति आरोपित की जाती चाहिए, तो वह प्रत्यक्ष की सलाह से जैसा आवश्यक समझे, जैसा आदेश प्राप्ति कर सकता है ;

(ii) यदि उधार देने वाले प्राधिकारी का मत है कि विनियम 7 के खंड (v) से (ix) तक के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई प्राप्ति आरोपित की जाती चाहिए तो वह कर्मचारी के सेवाई बोर्ड को सलाह कर देगा व जांच कार्यवाही का रिपोर्ट प्रत्यक्ष को भेज देगा ; तब प्रत्यक्ष आवश्यक आदेश प्राप्ति करेगा । परन्तु ऐसे मामलों में आदेश प्राप्ति करने समय प्रत्यक्ष विधि धम तक के उपबंधों का अनुपालन आवश्यक करेगा ।

सम्पीकरण—अनुशासनिक अधिकारी इस खंड के अंतर्गत आदेश प्राप्ति करने के लिए या तो प्रयोग नयी जांच कार्यवाही या सर्व की गई जांच कार्यवाही पर जैसा भी आवश्यक समझे, के आधार पर आदेश प्राप्ति करेगा ।

13. केन्द्र सरकार आदि से उधार लिए गए अधिकारियों के बारे में प्रावधान—(1) जहाँ किसी ऐसे सरकारों कर्मचारियों के विरुद्ध विरुद्ध प्रावधान पारित किया जाए या अनुसूचित कार्यवाही चालू की जाए जिसकी सेवाएँ कोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकरणों या समीक्षक उपक्रम, स्थानीय विकास या दूसरे प्राधिकरणों (जिन प्राधिकरणों को इस विनियम में उधार देने वाले प्राधिकरणों" कहा जाएगा) उधार ली जाए और जिन कर्मचारियों को सेवाएँ उधार ली जाएं (उसे इस विनियम में उधार दिए गए कर्मचारियों" कहा जाएगा) कड़ी संघर्ष, विरुद्ध को परिस्थितियों या अनुसूचित कार्यवाही अंश भी हो के बारे में "उधार देने वाले प्राधिकरणों" को सुरक्षा प्रदान करेगा।

(2) ऐसे उधार लिए गए कर्मचारियों के विरुद्ध चलायी गयी अनुसूचित कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर—

(i) यदि अनुसूचित प्राधिकरणों का मत है कि विनियम 7 के अंतर् (i) से (iv) को कोई प्रावधान कारोपित की जाती चाहिए तो वह उधार देने वाले प्राधिकरणों को सुरक्षा के बिना आवश्यक समझें सेवा प्रावधान पारित कर सकता है।

परन्तु यदि उक्त मामले में उधार लेने वाले न उधार देने वाले प्राधिकरणों का मत नहीं है तो कर्मचारियों को सेवाएँ उधार देने वाले प्राधिकरणों को वापस कर दी जाएगी।

(ii) यदि अनुसूचित प्राधिकरणों का मत है कि विनियम 7 के अंतर् (v) से (ix) को कोई प्रावधान कारोपित की जाती चाहिए तो वह कर्मचारियों की सेवाएँ उधार देने वाले प्राधिकरणों को वापस कर देगा और साथ ही संबंध कार्यवाही को भारत भेज देगा।

भाग—V

अनुसूचित कार्यवाही से उत्पन्न श्रेणियों

14. प्रावधानों जिनके विरुद्ध कोई भी श्रेणी ग्रहण नहीं होगी :— इस प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई श्रेणी स्वीकार नहीं की जायेगी :—

- (i) केन्द्र सरकार द्वारा पारित किसी प्रावधान के विरुद्ध;
- (ii) प्रबंधन द्वारा श्रेणी में पारित कोई प्रावधान पर संबंध में पारित कोई प्रावधान;
- (iii) संबंध के दौरान विनियम 8 के तहत संबंध प्राधिकरणों द्वारा पारित कोई प्रावधान;
- (iv) संबन्धीयक स्वभाव तथा कोई प्रावधान या सुरक्षा के स्वभाव का हो या निरन्तर से भिन्न अनुसूचित कार्यवाही का प्रतिक्रिया निपटान।

15. प्रावधान जिनके विरुद्ध श्रेणी स्वीकार को जायेगी :—विनियम 14 के उपबंधों के अधीन कोई भी कर्मचारियों निम्नलिखित श्रेणी या किसी एक के विरुद्ध श्रेणी कर सकता है, यद्यपि :—

(i) विनियम 8 के अंतर्गत पारित निरन्तर का प्रावधान या कोई भी निरन्तर प्रावधान जो कि विनियम 8 के अंतर्गत हो या ऐसी बात पसता है ;

(ii) अनुसूचित प्राधिकरणों द्वारा पारित विनियम 7 में निर्धारित किसी भी श्रेणी को कारोपित करने का प्रावधान;

(iii) कोई प्रावधान जोकि :—

- (क) उसके वेतन, पते, पेंशन या उसकी सेवाओं को अन्य शर्तों जोकि विनियमों द्वारा नियमित है में कमी या असुविधा का कारण है।
- (ख) ऐसे विनियमों के किसी भी उपबंधों में को प्रतिपादित करें।

(iv) कोई प्रावधान—

- (क) जोकि उसके समय वेतनमान में राजदारीय को इन आधार पर रोके कि वह इनके प्रयोग है;
- (ख) जोकि उसे दख में फिर उच्च श्रेणी या पद से नीचे पद में प्रत्यावर्तित कर दे;
- (ग) विनियम के तहत श्रेणीकरण उसके वेतन को कम कर दे या रोक दे या उसे उच्च श्रेणी प्रतिक्रिया वेतन को असुविधा कर दे;
- (घ) जोकि उसके निरन्तर संबंध या वह यद्यपि जिते उसकी निरन्तर समझी जाये या उसके किसी भी हिस्से के लिए एक श्रेणीकरण और अन्य निर्वाह शर्तों का निर्धारण हो :—
- (ङ) उसके वेतन और पते का निर्धारण हो :—

(i) निरन्तर संबंध के लिए, या

(ii) सेवा से संबंधित, निवाला जाना, या अधिकांश उस संबंध के लिए विरुद्ध श्रेणीय से उसे सेवा नियुक्ति या उस श्रेणीय से जिससे उसे निवृत्ति श्रेणीय प्रयोग वेतनमान का उसके सेवायुक्ति की श्रेणीय में प्रत्यावर्तित किया गया हो प्रयोग वेतनमान का स्तर या उसकी श्रेणी या पद का पुनर्स्थापन करें ;

(क) यदि उसके निरन्तर की श्रेणीय से संबंध का निर्धारण करे या न करे या यदि उसके अध्यायिक सेवा निकालने परिणाम सेवायुक्ति से निवृत्ति श्रेणीय, समय वेतनमान से या उसके पुनर्स्थापन की श्रेणीय के समय वेतनमान एक स्तर को या उसकी श्रेणी या पद के पुनर्स्थापन की श्रेणीय को किसी भी प्रयोजन के लिए काम पर भारतीय समझा जायेगा।

संश्लेषण :—इस विनियम में :—

- (i) "कर्मचारियों" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो श्रेणी की सेवा में नहीं है;
- (ii) वेतन से तात्पर्य प्रतिष्ठित वेतन, राशुदी और किसी अन्य सेवा नियुक्ति प्रावधान से है।

8
11
सेवा
विरुद्ध

16
के
वर्ग

बि
की
श

को
दी
क

द
क

16. अपील प्राधिकारी :—कोई भी कर्मचारी जिसमें कोई भी सेवा में उस व्यक्ति पर बेनारास नहीं है शामिल है, जो विद्वान के विरुद्ध अपील कर सकता है :—

- (i) निम्नलिखित प्रादेश के विरुद्ध जिसने प्रादेश को पारित किया है उसने छीफ़ नौबे के अधिकारी को ;
- (ii) विनियम 7 में निर्धारित कोई भी एक्ट के लागू करने संबंधी प्रादेश के विरुद्ध इस बारे में अनुसूची में निर्धारित अधिकारी ;
- (iii) विनियम 15 में निर्धारित कमी, या कोई भी प्रादेश के विरुद्ध उस अधिकारी को जिसके पास कर्मचारी को सेवा से निकालने के एक्ट को लागू करने के प्रादेश को स्वीकार्य करने का अधिकार हो ;

17. विशेष परिस्थितियों में अपील प्राधिकारी—(i) विनियम 16 में किसी बात के होते हुए भी सामान्य कार्यवाही में किसी प्रादेश के विरुद्ध अपील स्वीकार्य होता उस अधिकारी द्वारा स्वतंत्र किया जायेगा जो अनुशासनिक प्राधिकारी से छीफ़ नौबे अधिकारी हो ;

(ii) अपने परामर्श विनियम के आधार पर प्रस्ताव हो अपील के खिलाफ प्रादेश पारित करते हैं। इस प्रादेश के खिलाफ केन्द्रीय सरकार को ही अपील पेश की जायेगी और केन्द्रीय सरकार ही इस विनियम के अंतर्गत उक्त प्रादेश से संबंधित अपीलीय प्राधिकारी मनती जायेगी ;

18. अपील करने के लिए समय सीमा :—जब तक कि इस प्रादेश को अपील प्रादेश की एक प्रतिनिधि अपीलकर्ता को देने की तारीख के दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती इस भाग के अपील प्रस्तुत हो गयी किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा ;

एतनु अपील प्राधिकारी उपरोक्त व्यवधि की समान्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकते हैं, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि अपील को समय पर प्रस्तुत न करने के अपमान्य कारण हैं ;

19. अपील का स्वरूप और विषयवस्तु :—(1) प्रत्येक अपीलकर्ता प्रस्तुत अथवा अपने नाम से अपील पेश करेगा ;

(2) (क) अपील ऐसे अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता चाहिए जो इसे स्वीकार करने के अधिकारी हैं, अपीलकर्ता द्वारा उस अधिकारी को अपील की एक प्रति प्रेषितो चाहिए जो अपील के विरुद्ध प्रादेश पारित करेगा ;

(ख) अपील में वे सभी महत्वपूर्ण विवरण और तर्क होने चाहिए जिस पर अपीलकर्ता स्थित हैं, तथा उनमें कोई अनावश्यक बात नहीं होनी चाहिए। उनमें अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया हो तथा वह अपने भाष में पूर्ण हो या अधिकारी जिसके प्रादेश के विरुद्ध अपील की गयी है, अपील की प्रतिनिधि करने के बाद उस पर अपनी टिप्पणी देना और उसे संबंधित रेकर्डों के साथ परिदृश्य पेश के बिना और अपील प्राधिकारी के निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना अपीलार्थी प्राधिकारी के पास भेज देना ।

20. अपील पर विचार :—(1) निम्नलिखित प्रादेश के विरुद्ध की गयी अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या विनियम 6 के उपबंधों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित प्रादेश अनिश्चल है या नहीं और उक्त प्रादेश पर प्रादेश की पुष्टि या रद्द करेगा ;

(2) विनियम 7 में निर्धारित किसी भी एक्ट के अंतर्गत संबंधी प्रादेश के विरुद्ध की गयी अपील के मामले में या उक्त विनियम के

अंतर्गत आरोपित कोई किसी एक्ट में वृद्धि के मामले में अपीलार्थी प्राधिकारी निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :—

(क) इन परिस्थितियों में निर्धारित किया विधि का अनुपालन हुआ है, यदि नहीं तो क्या इन अनुपालन के कारण न्याय देने में रूक हुई है ;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्देशों को पालने पर प्रत्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है और ;

(ग) क्या आरोपित एक्ट परोप, अन्याय या बर्बर है, और निम्नलिखित प्रादेश पारित करेगा ;

(i) एक्ट को पुष्टि करना, एक्ट की वृद्धि, एक्ट में उर्ती, या एक्ट की रद्द करेगा ;

(ii) मामले को उस अधिकारी के पास भेजेगा जिसने एक्ट किया है या एक्ट में वृद्धि को है या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश के द्वारा अधिक मामले को परिस्थितियों में उचित जान पड़े ;

परन्तु :—

(i) यदि बताया गया एक्ट जिसे कि अपीलीय प्राधिकारी ने आरोपित करने का प्रस्ताव दिया है विनियम 7 खंड (v) के (ix) में निर्धारित स्थलों को एक में और विनियम 8 के अपील मामले में पहले कोई यांत्रिक नहीं की गयी है, उस विनियम II के उपबंधों के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी स्वयं जांच करेगा या विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार जांच करने का निर्देश देवे और उसके बाद अपील को अपीलार्थी पर विचार कर देना उचित मनतेना सेवा प्रादेश देने ;

(ii) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ाये गये स्थलों को यदि विनियम 7 के खंड (v) के (ix) में निर्धारित स्थलों में से कोई एक हो, जिसे आरोपित करने का प्रस्ताव अपीलीय प्राधिकारी ने दिया है तथा विनियम 8 के अंतर्गत पहले ही जांच हो चुकी है, उस अपीलीय प्राधिकारी देना उचित मनतेना सेवा प्रादेश पारित करेगा ;

(iii) किसी भी अपील मामले में मामले को एक्ट उ आरोपित का प्रादेश पर प्रत्यक्ष पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विनियम 8 के उपबंधों के अनुसार अपीलकर्ता की प्रस्तुत गये एक्ट के विरुद्ध अपीलार्थी के विरुद्ध समान्य अपील न किया जाये ;

(3) विनियम 15 में निर्धारित किसी भी एक्ट प्रादेश के विरुद्ध किसी अपीली में, अपीलार्थी प्राधिकारी मामले के संबंधित सभी परिस्थिति पर विचार करने के बाद रद्द देना उचित, एवं न्याय संगत मनतेना सेवा प्रादेश पारित करेगा ;

21. अपील में पारित प्रादेश का कार्यभार :—यदि अधिकारी जिसके प्रादेश के खिलाफ अपील की गयी है अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित प्रादेशों को प्रेषितो करेगा ;

22. इस का । वृद्धि । यदि किसी विशेष प्रादेश के खिलाफ अपील को पड़े है किसी बात के न होते हुए भी विनियम 16 के अंतर्गत पर

एक आदेश के विना एक वर्षों के भीतर में एकसे एकसे विधुक्ति के कारण पर उन उक्त विधुक्ति प्रतिकारी बन जाते हैं। वह व्यक्ति उन कारणों को होने के कारण उन विधुक्ति के पास आवेगा और विधुक्ति 22 और 23 के अन्तर्गत वह प्रतिकारी उन विधुक्ति के संबंधित धर्मोपचार प्रतिकारी बनता जायेगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति प्रत्युक्त को नहीं हो तो उसके विरुद्ध।

(iii) पुनर्लेखन के लिए किसी भी कारण पर उक्त प्रकार विचार किया जायेगा नैसा कि इन विधुक्तियों में निर्धारित है।

23. पुनर्लेखन (संशोधन) :- (1) इन विधुक्तियों में विधि काय के होने हुए भी :- (1) केवल सहायक, या

भाग--VII

विधुक्ति

(ii) सहायक :- किसी भी कारण या जो स्वयम् या अन्य कारण से किसी भी कारण के कारणों को सहायक इन विधुक्तियों के अन्तर्गत विधुक्ति को प्रदान का पुनर्लेखन करना है या विधुक्तियों का कारण या विधुक्ति 26 द्वारा निर्धारित प्रमाण, विधुक्ति कि प्रमाण को प्रमाणित हो जाते हैं, वेदिक कोर्षों को प्रमाण प्रमाण नहीं को नहीं है या विधुक्ति कोर्षों को प्रमाण प्रमाण नहीं है, केवल सहायक के प्रमाण के कारण उक्त इन कारण या प्रमाणों के अन्तर्गत ही होने के अन्तर्गत है :-

24. प्रादेशों एवं नोटिसों का कारण :- इन विधुक्तियों के अन्तर्गत इन कारणों को जारी प्रादेशों, नोटिस और सम्बन्धित सम्बन्धित कारणों को स्वयम् उचित किया जायेगा या उसे अधिकृत उक्त द्वारा सूचित किया जायेगा।

24A. समय सीमा में उक्त कोर्षों के कारण :- इन विधुक्तियों में प्रमाण केवल एक उपरोक्त विधुक्ति के अन्तर्गत इन विधुक्तियों के अन्तर्गत कोर्षों को प्रदान पाठित हेतु समय या अधिकारी उचित एवं प्रमाण कारणों के उक्त कारणों को प्रमाण कारणों में कुछ को करने के लिए इन विधुक्तियों के अन्तर्गत निर्धारित समय को बढ़ाया किसी प्रकार को हुई देर को प्रमाण कर सकेगा।

(क) पुक्ति, प्रादेशिक, कारणों को विधुक्ति का

(ख) पुक्ति, सभी कारण उक्त धर्मोपचार के अन्तर्गत कोर्षों को उक्त कोर्षों को प्रमाणित नहीं है, कोर्षों को उक्त धर्मोपचार कर सकते हैं, या

(ग) प्रादेश पाठित करने वाले अधिकारों का किसी अन्य प्राधिकारी को, इस विधुक्ति के अन्तर्गत कि वह कारणों को अधिकारियों के अन्तर्गत सेवा प्रदान करती जाने आयेगी कि कार्य करे, प्रेष करके हैं; या

25. विधुक्ति और कारण :- (1) इन विधुक्तियों के प्रमाण होने के कारण पहले नाम उक्त इन विधुक्तियों के अन्तर्गत जारी सभी विधुक्तियों, विधुक्तियों, संशुक्तियों, परिपत्रों, अधिकारियों, विधुक्तियों और इन विधुक्तियों के संबंधित प्रादेशों को एकत्रित निर्धारित किया जाता है; परन्तु :-

(घ) कोर्षों को अन्य कारण प्रमाणित कर सकते हैं, जिसे वे उचित समझें; परन्तु पुनर्लेखन प्रतिकारी द्वारा उन तक किसी कारण के कारणों या उक्ति संबंधी प्रादेश पाठित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित कारणों को प्रमाणित रूप के विरुद्ध अपवादों के प्रमाणों के लिए प्रमाण प्रमाण न दिया जाये और उक्त विधुक्ति 7 के अन्तर्गत (v) से (ix) में निर्धारित कारणों में से किसी एक के कारणों का प्रमाण हो या प्रादेश द्वारा कारणों के अन्तर्गत में उक्ति के लिए उन कारणों में निर्धारित विधुक्ति को उक्ति को प्रमाणित करने को प्रमाण को नहीं है। विधुक्ति 3 में निर्धारित विधुक्ति विधुक्ति के अन्तर्गत को प्रमाण को प्रमाण या केवल उक्त कारणों के अन्तर्गत के अन्तर्गत, उक्त सेवा प्रमाणों के अन्तर्गत ही, को उक्त कोर्षों को उक्त धर्मोपचार नहीं किया जायेगा।

(क) वह विधुक्ति उक्त विधुक्तियों, विधुक्तियों, संशुक्तियों, परिपत्रों, अधिकारियों, विधुक्तियों, विधुक्तियों, प्रादेशों या जो कुछ विधुक्ति का प्रमाण है, या उक्त को प्रमाण विधुक्ति को कारणों के पूर्व प्रमाणों को प्रमाणित नहीं करेगा।

(ख) उक्त विधुक्तियों, विधुक्तियों, संशुक्तियों, परिपत्रों, अधिकारियों, विधुक्तियों, उक्त प्रमाणित प्रादेशों के अन्तर्गत कोर्षों को प्रमाणित नहीं करती उक्ति को उक्त तक ही उक्त उक्त इन विधुक्तियों के अन्तर्गत के अन्तर्गत विधुक्ति जायेगा।

परन्तु उक्त कारणों द्वारा पुनर्लेखन प्रमाण का प्रमाण तक नहीं किया जायेगा उक्त तक कि :-

(2) इन विधुक्तियों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा जिसके कि कोर्षों को प्रमाण विधुक्ति कि इन विधुक्तियों, विधुक्तियों, संशुक्तियों, परिपत्रों, अधिकारियों, विधुक्तियों तथा प्रादेशों, जो कि उन विधुक्ति (1) द्वारा निर्धारित हो चुके हैं, से उक्त प्रमाण का कोर्षों को अधिकार प्राप्त हो, से संबंधित हो।

(i) वह अधिकारों विधुक्ति प्रमाण में प्रादेश पाठित किया है, या

(3) इन विधुक्तियों के अन्तर्गत होने के पहले पाठित किसी भी कारण के संबंधित प्रमाणों का अन्तर्गत को उक्त कोर्षों को प्रमाण इन विधुक्तियों के प्रमाण होने के अन्तर्गत या किसी प्रादेश के विरुद्ध जो कि इन विधुक्तियों के अन्तर्गत होने के पहले पाठित किए गये हों, इन विधुक्तियों के अन्तर्गत होने के अन्तर्गत को प्रमाणित या प्रमाण को प्रमाण पर इन विधुक्तियों के अन्तर्गत विचार उक्त प्रादेश पाठित किया जायेगा।

(ii) वह अधिकारों विधुक्ति प्रमाण प्रमाण को प्रमाणों, उक्त प्रमाण प्रमाण नहीं को प्रमाण है, वह स्वयम् उक्त प्रमाणों के अन्तर्गत है।

(2) के अन्तर्गत :- पुनर्लेखन के लिए कारणों को प्रमाण नहीं को प्रमाणों :-

26. संशुक्तियों का विचार :- उक्त इन विधुक्तियों के अन्तर्गत उक्तों के अन्तर्गत के अन्तर्गत में कोई संशुक्ति उक्त है, उक्त प्रमाणों को प्रमाण के अन्तर्गत प्रेष दिया जायेगा और वे ही उक्त प्रमाणों के अन्तर्गत हैं।

(i) प्रमाण के लिए निर्धारित समय सीमा को प्रमाणित, या

अनुसूची "क"

विवरण 3 (ii) देखिए

क्र. सं.	पदों/विवरणों को देखते	यह प्राधिकरण है/ सहाय प्राधिकारी तथा यह विधि निम्न विवरण (7) के अन्तर्गत (i) से (ix) के अन्तर्गत में परिभाषित कर सकता है।	उपरोक्त प्राधिकारी	
1	2	3	4	
1. रु. 2,400/-	बैतनमान से अधिक पाने वाले विभागाध्यक्ष या कर्मचारी।	प्रत्यक्ष परन्तु हस्तिया एक कार्यालय के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हस्तिया अनुशासनिक प्राधिकारी होने।	सभी, परन्तु उक्त पद या में सभी उच्चो दिवस, एमिशन तथा नियति, विशेष विभागाध्यक्ष या कोई भी नगर, जिसका बैतनमान रु. 3,700/- (मने की छठहत्तर) से अधिक हो, के अन्तर्गत कोई प्राधिकार न हो, तथा यह तक कि विवरण 3 (13) (1) के अन्तर्गत निम्न उपाय के गुरु के अन्तर्गत प्राप्त अनुसूचित न हो सकें।	(i) केंद्र सरकार। (ii) प्रत्यक्ष, परन्तु हस्तिया एक कार्यालय के उपलब्ध अनुशासनिक प्राधिकारी हों।
2. रु. 1,679/-	बैतनमान से अधिक वेतन		सभी	प्रत्यक्ष
3. रु. 2,400/-	बैतनमान से अधिक पाने वाले कर्मचारी			
3. रु. 827/-	बैतनमान से अधिक वेतन	कलकत्ते में संबंधित विभागाध्यक्ष तथा हस्तिया में महाप्रबंधक तथा विभिन्न के प्रबंधक।	(क) कलकत्ते में संबंधित वेतन-पंक्ति तथा हस्तिया में महा प्रबंधक। (ख) हस्तिया एक कार्यालय में विवरण के अन्तर्गत विवरण (7) के अन्तर्गत (vii), (viii) व (ix) का अन्तर्गत पद।	कलकत्ते में उपलब्ध तथा हस्तिया के उपलब्ध, सभी
4. रु. 827/-	बैतनमान से अधिक पाने वाले कर्मचारी	कलकत्ते में संबंधित विभागाध्यक्ष और हस्तिया में उप महा प्रबंधक तथा हस्तिया एक कार्यालय में संबंधित विभिन्न प्रबंधक	(क) कलकत्ते में संबंधित विभागाध्यक्ष तथा हस्तिया में उप महा प्रबंधक सभी। (ख) हस्तिया एक कार्यालय में विवरण के अन्तर्गत विवरण (7) के अन्तर्गत (vii), (viii) व (ix) के अन्तर्गत पद।	कलकत्ते के मामले में उपलब्ध, हस्तिया एक संबंधित कर्मचारियों के मामले में उपलब्ध हस्तिया

अनुसूची-2

(विवरण 3 देखिए)

क्रम सं.	कर्मचारियों का विवरण	निर्भूत प्राधिकारी
1. रु. 3,700/-	बैतनमान से अधिक पाने वाले विभागाध्यक्ष और कर्मचारी।	प्रत्यक्ष के अन्तर्गत या केंद्र पर आधारित।
2. रु. 2,400/-	बैतनमान से अधिक परन्तु 3,700/- से अधिक पाने वाले कर्मचारी।	प्रत्यक्ष परन्तु हस्तिया के कर्मचारियों के मामले में हस्तिया के उपलब्ध और निर्भूत प्राधिकारी होंगे।
3. रु. 1,679/-	बैतनमान से अधिक वेतन	उपलब्ध
4. रु. 1,679/-	बैतनमान से कम पाने वाले कर्मचारी।	कलकत्ते में संबंधित विभागाध्यक्ष हस्तिया में उप महा प्रबंधक।

(एम एन. नायर), अनुमान प्राधिकारी,
रतन, भारत परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 10th August, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PW/PER-785]

P. M. ABRAHAM, Addl. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the existing rules on the subject, the Board of Trustees of the Port of Calcutta, hereby makes the following Regulations, namely :

PART I—GENERAL

1. Short title and commencement.—These regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987.

2. Application.—(i) These regulations shall apply to all employees of the Board except—

- (a) persons in casual employment
- (b) persons subject to discharge from service on less than one month's notice.

(ii) Special provision by agreement.—Where it is considered necessary to make special provisions in respect of an employee inconsistent with any of these regulations the authority competent to make the appointment may, by agreement with the employee and subject to the approval of the Board, make such special provisions and thereupon these regulations shall not apply to such employee to the extent to which the special provisions so made are inconsistent therewith :

Provided that in respect of an employee holding Class I post, the previous approval of the Central Government to such special provisions shall be obtained by the Board.

(iii) Protection of rights and privileges conferred by any law or agreement.—Nothing in these regulations shall operate to deprive any right or privilege to which an employee is entitled :

- (a) by or under any law for the time being in force, or

(b) by the terms of any agreement subsisting between such person and the Board at the commencement of these regulations.

3. Definitions.—In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context—

- (i) "Act" shall mean the Major Port Trusts Act, 1963.
- (ii) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of a Department" shall have the same meaning as assigned to them respectively in the Act.
- (iii) Disciplinary Authority.—Disciplinary Authority in relation to an employee shall mean the authority prescribed as such in Schedule 'A' annexed to these Regulations.
- (iv) Appellate Authority.—Appellate Authority in respect of an order passed by a Disciplinary Authority shall mean the Authority prescribed as such in these regulations.
- (v) "Employee" shall mean an employee of the Board in any post or capacity and also include any such persons on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of the Board and also any person in the service of the Central or State Government or a local or other authority whose services are temporarily placed at the disposal of the Board.

PART II—CLASSIFICATION OF POSTS

4. Posts under the Board shall be classified as follows :—

(1) Class I Posts :

- (a) All posts of Heads of Departments.
- (b) All posts carrying pay or scale of pay (excluding of allowances), the maximum of which is Rs. 1,980 per month or more.
- (c) All posts not covered by (a) and (b) above especially declared to be Class I Posts by the Board.

(2) Class II posts :

- (a) All posts carrying pay or scale of pay (excluding of allowances), the maximum of which is more than Rs. 1,679 per month but less than Rs. 1,980 per month.
- (b) All posts not covered by (a) above especially declared to be Class II posts by the Board.

(3) Class III posts :

- (a) All posts carrying pay or scale of pay (exclusive of allowances) the maximum of which is more than Rs. 927 per month but does not exceed Rs. 1,679 per month.
- (b) All posts not covered by (a) above especially declared as Class III posts by the Board.

(4) Class IV posts :

All posts carrying pay or scale of pay (exclusive of allowances) the maximum of which is Rs. 927 or below per month, excepting those especially declared otherwise by the Board.

5. Appointing Authorities.—The powers of appointing any person to any post, whether temporary or permanent, under the Board shall be exercisable by the Appointing Authorities specified in schedule 'B' hereto. Provided that the power to make appointment to such posts exercisable by an Authority specified in the said schedule may also be exercised by another Authority higher than that Authority.

PART III—SUSPENSION

6. Suspension.—(i) The Appointing Authority or any Authority to which it is subordinate or the Disciplinary Authority in relation to an employee may place under suspension—

- (a) an employee against whom disciplinary proceedings are contemplated or are pending, or
- (b) an employee against whom a case in respect of any criminal offence is under investigation or trial;

Provided that no such order in relation to an employee referred to in Clause (a) of sub-Section (i) of section 24 of the Act shall have effect until it is approved by the Central Government.

(ii) An employee who is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours, shall be deemed to have been suspended by an order of the appropriate authority with effect from the date of detention and shall remain under suspension, until further orders.

(iii) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further enquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(iv) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee as a penalty is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further enquiry against the employee on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the appropriate authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension, until further orders;

Provided that no such further enquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

- (v) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.
- (b) Where an employee is suspended (whether in connection with any disciplinary proceedings or otherwise) and any other disciplinary proceedings is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded in writing, direct that the employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(vi) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

PART IV

Nature of penalties

7. The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed on an employee, namely :—

Minor penalties :

- (i) Censure;
- (ii) Withholding of his promotion;
- (iii) Recovering from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of orders;
- (iv) Withholding of increments of pay.

Major penalties :

- (v) Reduction to a lower stage in a time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;
- (vi) Reduction to a lower time-scale of pay, grade or posts which shall ordinarily be a bar to the promotion of the employee to the time-scale of pay, grade or posts from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the time-scale, grade or post from which the employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that time-scale, grade or posts;

- (vii) Compulsory retirement;
- (viii) Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board.
- (ix) Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Board.

Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this regulation :

- (i) withholding of increments of an employee for failure to pass a departmental examination in accordance with the regulations or orders governing the posts which he holds or the terms of his appointment;
- (ii) stoppage of an employee at the efficiency bar in the time-scale on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (iii) non-promotion whether in a substantive or officiating capacity of an employee after consideration of his case to a grade or posts, for promotion to which he is eligible;
- (iv) reversion to lower grade or posts of an employee officiating in a higher grade or posts on the ground that is considered, after a trial, to be unsuitable for such higher grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;
- (v) reversion to his permanent grade or posts of an employee appointed on probation to another grade or posts during or at the end of the period of the probation in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing probation;
- (vi) replacement of the services of an employee whose services have been borrowed from the Central Government or State Government or an authority under the control of the Central Government or State Government at the disposal of the authority which lent his service;
- (vii) compulsory retirement of an employee in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement;
- (viii) termination of the services —
 - (a) of an employee appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the regulations and orders governing probation;
 - (b) of an employee employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement;
 - (c) of a temporary employee in accordance with the orders governing such employee.
 - (d) of an employee on reduction of Establishment.

- (2) The punishment mentioned in clause (III) of Regulation 7 above is subject to the provisions of the Payment of Wages Act, 1936, and the Minimum Wages Act, 1948.

7A. Penalty for misconduct committed prior to recruitment—

The penalties specified in Regulations 7 may, for good and sufficient reason, as hereinafter provided, be imposed on an employee appointed through direct recruitment in respect of misconduct committed before he has employment if the misconduct was of such a nature as has rational connection with his present employment and renders him unfit or unsuitable for continuing in service.

7B. Disciplinary authorities—

The authorities mentioned in the schedule 'A' shall be competent to impose penalties on the employees as indicated in the said schedule.

Provided that the Central Government may impose any of the penalties mentioned in regulation 7 on any employee of the Port.

7C. Authority to institute proceedings—

(1) The Chairman may—

- (a) institute disciplinary proceedings against any employee;
- (b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any employee on whom that disciplinary authority is competent to impose under these regulations any of the penalties specified in Regulations 7.

(2) A disciplinary authority competent under these regulations to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (vi) of Regulation 7 may institute disciplinary proceedings against any employee for the imposition of any of the penalties specified in clauses (vii) to (ix) of Regulation 7 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these regulations to impose any of the latter penalties.

8. Procedure for imposing major penalties :—

(1) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (v) to (viii) of regulation 7 shall be made except after an enquiry is held in accordance with this regulation.

(2) Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may appoint any Board of Enquiry or an Enquiring Officer (hereinafter called the Enquiring Authority) to enquire into the truth thereof.

(3) Where the Disciplinary Authority itself enquires or appoints an Enquiring Authority for holding an enquiry, it may, by an order, appoint any person to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the articles of charge.

(4) Where it is proposed to hold an inquiry, the disciplinary authority shall draw up—

- (i) The substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;
- (ii) a statement of imputation of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge;
- (iii) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(5) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the article of charge, the statement of imputation of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the employee to submit, within such time as may be specified, written statement whether he admits or denies any or all the articles of charge.

(6) On receipt of the written statement of the employee or if no such statement is received within the time specified, an enquiry may be held by the Disciplinary Authority itself, or by any Enquiring Authority appointed under sub-clause (2) :

Provided that it may not be necessary to hold an enquiry in respect of the charges admitted by the employee in his written statement. The Disciplinary Authority shall, however, record its findings on each such charge.

(7) The Disciplinary authority shall, where it is not the enquiring authority forward to the enquiring authority—

- (i) A copy of the article of charge and the statement of imputation of misconduct or misbehaviour;
- (ii) a copy of the written statement, if any submitted by the employee;
- (iii) a copy of the list of witnesses and documents referred to in sub regulation 4;
- (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub-regulation 5;
- (v) a copy of the order appointing the Presentation Officer.

(8) The employee shall appear in person before the enquiring authority on such day at such time, not exceeding 15 days from the date of receipt of the articles of charge and at a place as the enquiring authority may by notice in writing specify.

(9) The employee may take the assistance of any other employee (hereinafter called the Assisting Officer) to assist him, in his case but may not engage a legal practitioner for the purpose provided, however, that an employee holding a Class III or Class IV post may engage as his Assisting Officer, if he so desires, any representative of a labour Union, who is himself an employee or retired employee of the Board. However, the employee shall not take the

assistance of any other employee or retired employee of the Board, who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(10) If the employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement or has not submitted any written statement, appears before the Enquiring Authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Enquiring Authority shall record the plea, the record and obtain the signature of the employee thereon. The Enquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the employee concerned pleads guilty.

(11) The Enquiring Authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presentation Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge and shall adjourn the case to a later date not exceeding 30 days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defence—

- (i) Inspect, within 5 days of the order the documents specified in the list referred to in sub-rule 4;
- (ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;
- (iii) give a Notice within 10 days of the order for the production of any document which are in possession of the Trustees but not in the list referred to in sub-rule 4.

Note—The employee shall indicate the relevance of the documents and witnesses required by him to be produced during enquiry.

(12) The Enquiring Authority shall, on receipt of the Notice for the production of documents, forward the same or copies thereof to the Authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisitions :

Provided that the Enquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) The authority in whose custody or possession the requisitioned documents are, shall arrange to produce the same before the Enquiring Authority, on the date, place and time specified in the requisition notice.

Provided that the authority having the custody or possession of the requisitioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interest or the interests of the Board. In that event it shall inform the Enquiring Authority accordingly. The Enquiring Authority shall on being so informed communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production of such document.

(14) On the date fixed for the enquiry the oral and documentary evidence by which the Articles of charge are proposed to be proved shall be produced

by or on behalf of the Disciplinary Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the Enquiring Authority. The Enquiring Authority may also put such question to the witness as it thinks fit.

(15) Before the close of the case for the Disciplinary Authority, Enquiring Authority may, at its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the charge-sheet, or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. In such case the employee shall be given an opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record or to cross-examine a witness who has been so recalled.

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the employee may be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any appointed.

(17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined and shall be liable for examination, cross-examination and re-examination by the Enquiring Authority according to the provision applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(18) The Enquiring Authority may, after the employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The Enquiring Authority may, after the completion of production of evidence, hear the Presenting Officer first and then the employee, or permit them in the same sequence to file written briefs of their respective case within 15 days of the date of completion of production of evidence.

(20) If the employee does not submit the written statement of defence referred to in sub-regulation (3) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person, or through the Assisting Officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the Enquiring Authority may hold the enquiry ex-parte.

(21) Whenever any Enquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an enquiry, is replaced and succeeded by another Enquiring Authority which has, and which exercises such jurisdiction, the Enquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding Enquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinafter provided.

(22) (i) After the conclusion of the enquiry, report shall be prepared and it shall contain—

(a) a gist of the Articles of Charge and the statement of the imputation of misconduct or misbehaviour;

(b) a gist of the defence of the employee in respect of each Article of Charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each Article of Charge;

(d) the findings of each Article of Charge and the reasons therefor.

Explanation.—If in the opinion of the Enquiring Authority the proceedings of the enquiry establish any Articles of Charge different from the original Articles of Charge, it may record its findings on such Articles of Charge :

Provided that the findings on such Article of Charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such Articles of Charge are based or has a reasonable opportunity of defending himself against such Articles of Charge.

(ii) The Enquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include—

(a) the report of the enquiry prepared by it under sub-clause (i) above;

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the employee referred to in sub-regulation (3);

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the enquiry;

(d) written briefs referred to in sub-regulation (19), if any, and

(e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and by the Enquiring Authority in regard to the inquiry.

8A. Action on the enquiry report.—(1) (i) The Disciplinary Authority if it is not itself the Enquiring Authority, may for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to Enquiring Authority for further enquiry and report and the Enquiring Authority shall thereupon proceed to hold further enquiry;

(ii) the Disciplinary Authority shall if it disagrees with the findings of the Enquiring Authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on records is sufficient for the purpose;

(iii) if the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that no penalty is called for, it may pass an order exonerating the employee concerned.

(2) If the Disciplinary Authority having regards to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties as specified in Clauses (i) to (iv) of Regulation 7 should be imposed on the employee, it shall notwithstanding anything contained in Regulation 9, make an order imposing such penalty.

(3) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the enquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Regulation 7 should be imposed on the employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

9. Procedure for imposing minor penalties—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of Regulation and no order imposing any of the penalties specified in Clauses (i) to (iv) of Regulation 7 shall be passed except after—

- (a) informing in writing the employee of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken and given him an opportunity of making any representation he may wish to make against the proposal;
- (b) holding an enquiry in the manner laid down in sub-regulations (4) to (22) of Regulation 8, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such enquiry is necessary;
- (c) taking the representation, if any, submitted by the employee under clause (a) and the record of enquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and
- (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include—

- (a) a copy of the intimation to the employee of the proposal to take against him;
- (b) a copy of the statement of imputation of misconduct or misbehaviour delivered to him;
- (c) his representation, if any;
- (d) the evidence produced during the enquiry;
- (e) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
- (f) the orders or the case together with the reasons therefor.

(3) Notwithstanding the provisions contained in clause (b) of sub-regulation (1), if in a case it is proposed, after considering the representation, if any, submitted by the employee, to withhold increments of pay for a period exceeding 3 years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period or if the penalty of withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee, and enquiry shall invariably be held in the manner laid down in sub-regulation (4) to (22) of Regulation 8, before making any order imposing on the employee any such penalty.

9A. Communications of orders.—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the employee who shall also be supplied with a copy of the report of the enquiry, if any, held by the disciplinary authority and a copy of its findings on such article of charge, or where the disciplinary authority is not the enquiring authority, a copy of the report of the enquiring authority and a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the enquiring authority.

10. Common Proceedings :—Subject to the provision of the Act—

(1) Where two or more employees are concerned in any case, the appropriate Disciplinary Authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceedings :

Provided that if one of the employees involved in a joint enquiry is holding a post referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act, the Disciplinary Authority shall obtain the prior concurrence of the Central Government before ordering the common proceedings.

(2) Any such order shall specify—

- (i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of such common proceedings;
- (ii) the penalties specified in regulation 7, which such Disciplinary Authority shall be competent to impose; and
- (iii) whether the procedure prescribed in regulation 8 or regulation 9 may be followed in the proceedings.

11. Special Procedure in certain Cases.—Subject to the provisions of the Act and notwithstanding anything contained in the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, control and Appeal) Regulations—

- (i) where a penalty is imposed on an employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said regulations and the approval of the Chairman has been obtained;

- (iii) where the Chairman is satisfied that in the interest of the security of the State or the Port of Calcutta it is not expedient to follow the procedure prescribed in the regulations;
- (iv) where it is proposed to impose a penalty on all employees on the basis of the findings of an enquiry conducted in accordance with the provisions of Part XII of the Merchant Shipping Act, 1958 (Act 44 of 1958), the Disciplinary Authority or the Chairman as the case may be consider the circumstances of the case and pass such orders thereon as deemed fit.

Provided that the approval of the Central Government shall be obtained before passing such orders in relation to an employee covered by clause (a) of sub-section (1) of Section 24 of the Act.

12. Provision regarding officers lent to the Central Government, etc.—(1) Where the services of any employee of the Board are lent to the Central Government, or to a State Government or to an authority or undertaking subordinate thereto or to a local or other authority (hereinafter in this regulation referred to as "The Borrowing Authority"), the Borrowing Authority shall have the powers of the appointing authority for the purpose of placing the employee under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of taking disciplinary proceedings against him :

Provided that the Borrowing Authority shall forthwith inform the Chairman of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against the employee—

- (i) if the Borrowing Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Regulation 7 should be imposed on him, it may in consultation with the Chairman pass such orders in the case as it deems necessary;

Provided that in the event of a difference of opinion between the Borrowing Authority and the Chairman, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the Board :

- (ii) if the Borrowing Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Regulation 7 should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the Board and transmit to Chairman the proceedings of the enquiry and thereupon the Chairman shall pass such orders in the case as it deems necessary:

Provided that in passing any such order the Chairman shall comply with the provisions Regulation 8A.

Explanation—The Disciplinary Authority may make an order under this clause on basis of the record of the enquiry transmitted by the Borrowing Authority, or after holding such further enquiry as it may deem necessary.

13. Provisions regarding officers borrowed from the Central Government or State Government etc.—(1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceedings is taken against an employee whose services have been borrowed by the Board from the Central Government or a State Government or against the servant of an authority or undertaking subordinate thereto or of a local or other authority, the authority lending his services (hereinafter in this regulation referred to as "the Lending Authority") shall forthwith be informed by the Chairman of the circumstances leading to the order of his suspension or the commencement of the disciplinary proceedings as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against such Employee—

- (i) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of regulation 7 should be imposed on him, it may, after consultation with the Lending Authority, pass such orders on the case as it deems necessary :

Provided that in the event of a difference of opinion between the Borrowing Authority and the Lending Authority, the services of the Employee shall be replaced at the disposal of the Lending Authority.

- (ii) if the Disciplinary authority is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 should be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary.

PART—V

APPEAL ARISING OUT OF DISCIPLINARY PROCEEDINGS

14. Orders against which no appeals lies—Notwithstanding anything contained in this part, no appeals shall lie against—

- (i) any order made by the Central Government;
- (ii) any order in appeal or any order in review made by the Chairman;
- (iii) any order passed by an enquiring authority in the course of an enquiry under Regulation 8;
- (iv) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid or the final disposal of a disciplinary proceeding other than an order of suspension;

15. Orders against which appeals lies :—Subject to provision of Regulation 14, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely :—

- (i) an order of suspension made or deemed to have been made under Regulation 6;
- (ii) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 7 made by the disciplinary authority;

(iii) an order, which—

- (a) denies or varies to his dis-advantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by regulations; or
- (b) interprets to his dis-advantage the provisions of any such regulations;

(iv) an order—

- (a) stopping him at the efficiency bar in the time-scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar;
- (b) reverting him while officiating in a higher grade or posts to a lower grade or posts otherwise than as a penalty;
- (c) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the regulations;
- (d) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;
- (e) determining his pay and allowances—
 - (i) for the period of suspension, or
 - (ii) for the period from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement from service or from the date of his reduction to a lower grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay to the date of his re-instatement or restoration to his grade or post, or
- (f) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal or compulsory retirement, or reduction to a lower grade, post, time-scale of pay or a stage in a time-scale of pay to the date of his re-instatement or restoration to his grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation : In this regulation—

- (i) the expression of "employee" includes a person who has ceased to be in the Board's service;
- (ii) the expression "pension" includes additional pension, gratuity and any other retirement benefits.

16. Appellate Authorities :—An employee, including a person who has ceased to be in the Board's service, may prefer an appeal against—

- (i) an order of suspension, to the authority to which the authority which made or deemed to have made the order is immediately subordinate,
- (ii) an order imposing any of the penalties specified in Regulation 7, to the authority specified in this behalf in the schedule,
- (iii) all or any of the orders specified in Regulation 15 to the authority to which an appeal against an order imposing upon him the penalty of dismissal would lie.

17. Appellate Authorities in special circumstances.—Notwithstanding anything contained in Regulation 16,

- (i) an appeal against an order in common proceedings shall lie to the authority to which the authority functioning as disciplinary authority is immediately subordinate;
- (ii) Where the person who made the order appealed against becomes by virtue of his subsequent appointment as the Chairman, an appeal against such order shall lie to the Central Government and the Central Government, in relation to that appeal shall be deemed to be the appellate authority for the purpose of this regulation.

18. Period of limitation for appeals :—No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of two months from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

19. Form and Contents of appeals.—(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

- (2) (a) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against.

- (b) The appeal shall contain all material statements and arguments on which the

appellant lies, shall not contain any disrespectful or in proper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay and without waiting for any direction from the appellate authority.

20. Consideration of appeal—(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in the light of the provisions of Regulation 6 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in Regulation 7 or enhancing any penalty imposed under the said regulation, the appellate authority shall consider—

(a) Whether the procedure laid down in these regulations has been complied with, and if not whether such non-compliance has resulted in the failure of justice;

(b) Whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record; and

(c) Whether the penalties imposed is adequate, inadequate or severe, and pass orders—

(i) Confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that—

(i) If the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose in one of the penalties specified in clauses (vi) to (ix) of Regulation 7 and an enquiry under Regulation 8 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of Regulation 12, itself hold such enquiry or direct that such enquiry be held in accordance with the provisions of Regulation 8 and thereafter, on a consideration of the proceedings of such enquiry, may make such orders as it may deem fit;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Regulation 7 and an enquiry under Regulation 8 has already been held in the case, the appellate authority shall, may make such orders as it may deem fit; and

(iii) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of Regulation 8, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in Regulation 15, the appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

21. Implementation of orders in appeal—The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by the appellate authority.

22. Notwithstanding anything contained in this part where the person who made the orders appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the Appellate Authority under Regulation 16, in respect of the appeal against such order, such person shall forward the appeal to the authority to which he is immediately subordinate and such authority shall, in relation to that appeal, be deemed to be the Appellate Authority for the purpose of Regulation 22 and 23.

23. Review.—(1) Notwithstanding anything contained in these regulations—

(i) the Central Government, or

(ii) the Chairman

may at any time, either on his or his own motion, or otherwise, call for the records of any inquiry and review any order made under these regulations, or under the regulations or orders or practices repealed by regulation 26, from which an appeal is allowed, but no appeal has been preferred, or from which no appeal is allowed, after consultation with the Central Government, where such consultation is necessary, and may—

(a) confirm, modify or set aside the order; or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed; or

(c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further inquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(d) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by the reviewing authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of regulation 7 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be reviewed to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in Regulation 8 and except after consultation with the Central Government, where such consultation is necessary:

Provided further that no power of review shall be exercised by the Chairman unless—

- (i) the authority which made the order in appeal, or
- (ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred, is himself or is subordinate to him.

(2) No proceeding for review shall be commenced until after—

- (i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or
- (ii) the disposal of the appeal where any such appeal has been preferred.

(3) An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these regulations.

PART VI

MISCELLANEOUS

24. Service of orders and notices.—Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post.

24A. Power to relax time-limit and to condone delay.—Save as otherwise expressly provided in these regulations, the authority competent under these regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these regulations for anything required to be done under these regulations or condone any delay.

25. Repeal and savings.—(1) All regulations, rules, resolutions, circulars, notification, directions and orders corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these regulations and all directives or orders issued pursuant thereto are hereby repealed:

Provided that—

(a) such repeal shall not affect the previous operation of the said regulations, rules, resolutions, circulars, notifications, directives and orders or anything done or any action taken thereunder;

(b) any proceeding under the said regulations, rules, resolutions, circulars, notifications, directives and orders pending at the commencement of these regulations shall be continued and disposed of as far as may be, in accordance with the provisions of these regulations;

(2) Nothing in these regulations shall operate to deprive any person to whom these regulations apply of any right of appeal which had accrued to him under the regulations, rules, resolutions, circulars, notifications, directives and orders repealed by sub-regulation (1) in respect of any order passed before the commencement of these regulations.

(3) An appeal pending at or preferred after the commencement of these regulations against an order made before such commencement shall be considered and orders thereon shall be passed, in accordance with these regulations.

26. Removal of doubts.—Where a doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman, who shall decide the same.

SCHEDULE 'A'

See Regulation 3(ii)

Sl. Categories of employees No.	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to clauses (i) to (ix) of regulation (7).	Appropriate authority		
	Authority	Penalties		
1	2	3	4	5
1. Heads of Departments or employees on pay scales the maxima of which exceed Rs. 2,400/-	Chairman provided that for such employees at Haldia Dock complex, the Dy. Chairman, Haldia Dock Complex shall also be the disciplinary authority.	All provided that no order so far as the same involves suspension reduction in rank, compulsory retirement, removal or dismissal of the Head of Department or the incumbent of a post the maximum of the pay scale of which (exclusive of allowances) exceeds Rs. 3,700/- shall have effect until it is approved by the Central Govt. under the proviso contained under section 25(1) of the Act.	(i) Central Govt. (ii) Chairman where disciplinary authority is Dy. Chairman, Haldia Dock Complex.	
2. Employees on scales of pay, the maxima of which exceed Rs. 1,679/- but do not exceed Rs. 2,400/-	Dy. Chairman	All	Chairman	
3. Employees on pay scales, the maxima of which exceed Rs. 927/- but do not exceed Rs. 1,679/-	Concerned Head of Department at Calcutta & Dy. General Manager at Haldia and concerned Manager of Division at Haldia Dock Complex.	(a) Concerned Head of Department at Calcutta & Dy. General Manager at Haldia—All. (b) Manager of Division at Haldia Dock Complex—All except items (vii), (viii) & (ix) of Regulation 7.	Dy. Chairman, Calcutta and Dy. Chairman, Haldia in respect of employees attached to Haldia Dock Complex.	
4. Employees on pay scales, the maxima of which do not exceed Rs. 927/-	Concerned Head of Department at Calcutta & Dy. General Manager at Haldia and concerned Managers of Division at Haldia Dock Complex.	(a) Concerned Heads of Departments in Calcutta & Dy. General Manager at Haldia—All (b) Manager of Division at Haldia Dock Complex—All excepting items (vii), (viii) & (ix) of regulation 7.	Dy. Chairman, Calcutta, Dy. Chairman, Haldia in respect of employees attached to Haldia Dock Complex.	

SCHEDULE—'B'
(Sec Regulation 5)

1. Description of employees to	Appointing authority
1. Heads of Departments and employees on pay scales, the maxima of which exceed Rs. 3,700/-	Central Government in consultation with Chairman.
2. Employees on pay scales, the maxima of which exceed Rs. 2,400/- but do not exceed Rs. 3,700/-	Chairman, provided that, for such employees at Haldia, the Deputy Chairman, Haldia Dock Complex shall also be the Appointing Authority.
3. Employees on pay scales, the maxima of which exceed Rs. 1,679/- but do not exceed Rs. 2,400/-	Deputy Chairman.
4. Employees on pay scales, the maxima of which do not exceed Rs. 1,679/-	Concerned Head of Department in Calcutta, Deputy General Manager at Haldia.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 208] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 1988/चैत्र 31, 1910
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 1988/CHAITRA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सम-भूजन परिषद् का संवत्सरीय

(संलग्न पत्र)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल 1988

परिचयपत्र

परिचयपत्र

संघटना पोस्ट टुडे कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतीक) प्रथम संशोधन विनियम, 1988

संघटन नाम विनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 26 द्वारा प्रस्तुत कृतियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी परिचयपत्र की धारा 124 की उप-धारा (1) के प्रयोग में संघटना की संदर्भों के संघटना पोस्ट टुडे का नया संघटना संशोधन संघटना पोस्ट कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतीक) विनियम 1988 के संशोधन के लिए विनियमित विनियम बनाता है।

1. संशोधन नाम और संघटना:—

(1) इन विनियमों का संशोधन नाम संघटना पोस्ट टुडे कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतीक) प्रथम संशोधन विनियम 1988 है।

2. संघटना पोस्ट टुडे कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतीक) विनियम 1987 के विनियम 11 में परिचयपत्र को निम्नलिखित पदों की धारा परिभाषा में दिनांक 1/1/88, प्रतीक:—

परिचयपत्र (1) के प्रयोग में संशोधन संघटना के लिए कर्मचारी को संशोधन देने का प्रयत्न, प्रथम दिनांक नाम।

सं. सं. वि. 174 (घ).—केन्द्र सरकार, संघटन नाम विनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ परिचयपत्र धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रस्तुत कृतियों का प्रयोग करते हुए संघटना पत्र के संशोधन के लिए निम्नलिखित धारा संशोधन संघटनों में विनियमित संघटना पत्र नाम कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतीक) प्रथम संशोधन विनियम 1988 का परिचयपत्र बनाने के लिए।

उक्त विनियम इन संशोधन के संशोधन के संशोधन को संशोधन को संशोधन होने।

[संशोधन सं. सं. सं. 12013/5/88 की सं. सं. सं.]

संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन

परन्तु प्राप्ति पोर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत (क) के अन्तर्गत कर्तव्य करने के लिये केंद्र सरकार को अनुमति प्राप्त कर लिये जाये।

संदर्भ—कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम 1987 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हैं। संकेत—वि.प्र. की क्र. सं. 700(8) दिनांक 10-8-87

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 20th April, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) First Amendment Regulation, 1988 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(File No. PR-12013]5[8-PE.1]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) First Amendment Regulation, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and with sanction of the Central Government under sub-section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby make the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987.

1. Short title and commencement :—

(i) These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) First Amendment Regulations, 1988.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987, in Regulation 11, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed under Clause (i);

Provided further that the approval of Central Government shall be obtained before passing such orders in relation to an employee covered by Clause (i) of sub-section (1) Section 24 of the Act."

NOTE :

The Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 700(E) dated 10-8-1987.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

शासिकर से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]
No. 140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1992/चात्रा 7, 1914
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1992/CHAITRA 7, 1914

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन संज्ञासूचक
(पल्लव पत्र)
प्रधिसूचना

घनुसूची

नई दिल्ली, 27 मार्च 1992

कलकत्ता पल्लव न्यास कर्मचारी (बर्गीकरण नियन्त्रण
तथा प्रपीत) द्वितीय संशोधित विनियम, 1992

सा. का. नि. 372 (घ)—केन्द्र सरकार महानगर
न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132
की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता पल्लव
न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ
संलग्न घनुसूची में कलकत्ता पल्लव कर्मचारी (बर्गीकरण,
नियंत्रण और प्रपीत) द्वारा संशोधन विनियम, 1992 का
घनुसूचन करती है।

महा पल्लव न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 30) की धारा
28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की
धारा 124 की उप धारा (i) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार
की स्वीकृति से कलकत्ता पल्लव न्यास का न्यासी मंडल
कलकत्ता पल्लव न्यास के कर्मचारियों के लिए (बर्गीकरण,
नियन्त्रण व प्रपीत) विनियम, 1987 में संशोधनार्थ
निम्नलिखित विनियम बनाता है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र
में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. संक्षिप्त नाम

[फा. सं. पो. धार 12012/3/92 पी.ई.-1]

इस विनियमों को कलकत्ता पल्लव न्यास कर्मचारी
(बर्गीकरण, नियन्त्रण व प्रपीत) द्वितीय संशोधन विनियम
1992 कहा जाएगा।

सचोक जोशी, सयुक्त सचिव

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा श्र्पील) विनियम 1987 में —

(क) अनुसूची "ए" क्रम संख्या 1 में फालग 2 तथा 4 में और क्रम संख्या 2, 3 तथा 4 में फालग 2 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।

क्रम संख्या -1-रू. 2400 के स्थान पर रू. 5150 पढ़ें तथा

रू. 3700 के स्थान पर रू. 7225 पढ़ें।

क्रम संख्या -2-रू. 1679 तथा रू. 2400 के स्थान पर क्रमशः

रू. 2800 तथा रू. 5150 पढ़ें।

क्रम संख्या-3-रू. 927 तथा रू. 1679 के स्थान पर क्रमशः

रू. 1695 तथा रू. 2800 रू.।

क्रम संख्या -4- रू. 927 के स्थान पर रू. 1695 पढ़ें।

(ख) अनुसूची "बी" में क्रम संख्या 1,2,3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट संबंधित कर्मचारी विवरण में निम्न संशोधन किए गए हैं —

क्रम संख्या-1-रू. 3700 के स्थान पर रू. 7225 पढ़ें।

क्रम संख्या-2-रू. 24 तथा रू. 3700 के स्थान पर क्रमशः

रू. 5150 तथा 7225 पढ़ें।

क्रम संख्या-3-रू. 1679 तथा रू. 2400 के स्थान पर

क्रमशः रू. 2800 तथा रू. 5150 पढ़ें।

क्रम संख्या-4-रू. 1679 के स्थान पर रू. 2800 पढ़ें।
टिप्पणी:—

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा श्र्पील) विनियम 1987 के मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 1987 को जी. एस. आर. संख्या 700 (ई) के तहत प्रकाशित किया गया था। कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा श्र्पील, प्रथम संशोधन विनियम की भी भारत के राजपत्र में 20 अगस्त, 1988 को जी एस आर संख्या 474 (ई) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1992.

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (j) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Second Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Calcutta and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No. PR-12012/3/92-PE. I]
ASHOK JOSHI, Jr. Secy.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees (Classification,
Control & Appeal) 2nd Amendment
Regulations, 1992

In exercise of the power conferred by Section 28 of M.P.T. Act 1963 (30th of 1963) and with sanction of the Central Government under Sub-Section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987.

1. Short Title.—These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) Second Amendment Regulations 1992.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations 1987—

(a) In Schedule 'A' Column 2- & 4 in respect of Serial No. 1 and Column 2 in respect of Serial Nos. 2, 3 & 4 shall be amended as follows:—

Sl. No. 1—For Rs. 2400/-, read Rs. 5150/- & for Rs. 3700/-, read Rs. 7225/-.

Sl. No. 2—For Rs. 1679/- and Rs. 2400/-, read Rs. 2800/- & Rs. 5150/- respectively.

Sl.No. 3—For Rs. 927/- and Rs. 1679/- read Rs. 1695/- and Rs. 2800/- respectively.

Sl. No. 4—For Rs. 927/-, read Rs. 1695/-.

(b) In Schedule 'B', the column relating to description of employees in respect of Serial Nos. 1, 2, 3 & 4 shall be amended as follows:—

Sl. No. 1—For Rs. 3700/-, read Rs. 7225/-,

Sl. No. 2—For Rs. 2400/- & Rs. 3700/-, read Rs. 5150 & Rs. 7225/- respectively.

Sl.No. 3—For Rs. 1679/- & Rs. 2400/-, read Rs. 2800/- & Rs. 5150/- respectively.

Sl. No. 4—For Rs. 1679/- read Rs. 2800/-.

Notè:—

The principal Regulations i.e. the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 were published in the Gazette of India vide G.S.R. 700(E) dated the 10th August 1987. The Calcutta Port Trust Employees (Classification, Control & Appeal) 1st Amendment Regulations, 1988 were also published in the Gazette of India extra ordinary vide G.S.R. No. 474(E) dated the 7th April, 1988.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]
No. 156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2004/चैत्र 6, 1926
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2004/CHAITRA 6, 1926

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पत्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2004

सा.का.नि. 223(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम, 2004 का अनुमोदन करता है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

सीपीटी कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण व अपील) तृतीय संशोधन विनियम, 2004

मसू. अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसी अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के तहत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के साथ कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल सी पी टी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1987 का संशोधन कर एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक -

इन विनियमों को सीपीटी कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) तृतीय संशोधन विनियम, 2004 कहा जा सकेगा।

2. राज-विदा पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम, 1987 में -

(क) विनियम 4 में, पदों का वर्गीकरण

(i) खंड (1) (ख) में वर्णित अंक "रु. 1980/-" - को "रु. 15100/-" (या जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खंड [2] [क] में वर्णित अंक "रु. 1679/-" तथा "1980/-" को क्रमशः रु. 11975/- (या जैसा समय-समय पर संशोधित हो) तथा रु. 15100/- (या जैसा समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड 3 [क] में वर्णित अंक "रु. 927/-" तथा "रु. 1679/-" को क्रमशः "रु. 7330/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) तथा "रु. 11975/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड [4] में वर्णित अंक "रु. 927/-" को "रु. 7330/-" (या जैसा भी समय-समय पर संशोधित हो) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) एक नया विनियम यथा विनियम 8(22) (iii) को इस प्रकार शामिल किया जाएगा :-

विनियम 8(22)(iii)- जब कभी जांच अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट जांच के निष्पत्ति के बाद प्रस्तुत करता है किसी अपराधी को सभी दोषों या किसी एक आरोप का दोषी ठहराते हुए जिसके लिए कोई विशेष सजा का प्रस्ताव हो या न हो, तो दोषी ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि पाने का हकदार है ताकि अगर चाहे तो वह उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुशासनिक प्राधिकरण के समक्ष अपील करने का अवसर प्राप्त कर सके।

अर्थात् कि अगर अनुशासनिक प्राधिकरण स्वयं इस जांच का संचालन कर रहे है तो यह रिपोर्ट दोषी को दी जानी अपेक्षित नहीं है।

(ग) विनियम 8 क (1)(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

अनुशासनिक प्राधिकरण अगर स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो वे जांच रिपोर्ट व दोषी के रिपोर्ट प्राप्त हो तो उसके अवलोकन पर मामले के कारणों को लिखित में दर्ज करने के उपरान्त आगे की जांच व रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं तथा जांच प्राधिकारी उपरान्त नियमानुसार आगे की कार्यवाही के लिए बढ सकते हैं।

(घ) विनियम 8 क [3] में शब्द "आगे का"को अंतिम पंक्ति में शब्द "किसी" के बाद तथा शब्द "अवसर" के पहले शामिल किया जा सकता है।

(ड) अनुसूची क तथा ख के निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

अनुसूची 'क'

क्रम सं०	कर्मचारी की श्रेणी	सक्षम प्राधिकरण को दंडित करने के लिए दंड जो वे आरोपित कर सकते हैं (विनियम 7 के खंड (i) से (ix) के संदर्भ सहित)	प्रधिकरण	वर्तक	क. दि. प्रधिकरण
1	2	3	4	5	
1.	महा पल्लन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 24 की उप-धारा 1 के खंड [क] द्वारा पूरित पद	अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार	[I] से [IV] तक सभी		केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार
2.	म.प.नू. अधि. क्रि. 1953 की धारा 24 [1] [क] द्वारा पूरित सभी के अलावा श्रेणी-1 पद (जिनका वेतन क्रमशः दो स्तर चार स्तर श्रेणी-1 प्रवेश वेतन से ऊपर है या केडीएस/एचडीसी के कर्मचारियों के मामले में ऊपर है।	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष [I] से [IV] तक सभी	अध्यक्ष	केन्द्रीय सरकार
3.	अन्य सभी श्रेणी-1 व श्रेणी-1 के पद जो क्रम सं० 1 तथा 2 में शामिल नहीं हैं।	उपाध्यक्ष	सभी	अध्यक्ष	
4.	श्रेणी-III	विभागाध्यक्ष [केडीएस]/ जी एम [एचडीसी]	सभी	उपाध्यक्ष	
5.	श्रेणी-IV	विभागाध्यक्ष [केडीएस]/ जी एम [एचडीसी]	सभी	उपाध्यक्ष	

अनुसूची—ख

क्र.सं०	कर्मचारी का विवरण	नियुक्ति प्राधिकरण
1.	महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 24 की उप-धारा [1] के खंड [क] द्वारा पूरित पद	केन्द्रीय सरकार
2.	म प नू अधिनियम, 1963 की धारा 24[1][क]द्वारा पूरित वे पदों के अलावा श्रेणी-1 पद जिनका वेतनमान श्रेणी-1 प्रवेशमान से क्रमशः 2 स्तर /चार स्तर अधिक है या केडीएस/ एचडीएस के कर्मचारियों के मामले में अधिक हो ।	अध्यक्ष
3	श्रेणी-1 व श्रेणी-11 के अन्य सभी अधिकारी ।	उपाध्यक्ष [ह]/[को]
4.	श्रेणी-111 व IV	कोलकाता नोदी प्रणाली विभागाध्यक्ष तथा हल्दिया नोदी परिसर में महाप्रबंधक ।

[मिनिस्टर ऑफ़ आर-12016/6/98-पेई-1]

टिप्पणी :

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

प्रधान विनियम तथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी [वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील] विनियम, 1987 दिनांक 10 अगस्त, 1987 के जी एस आर सं० 700[ई] के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी [वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील] प्रथम संशोधन विनियम, 1988 का प्रकाशन दिनांक 20 अप्रैल, 1988 के जी एस आर सं० 474[ई] के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुए थे तथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी [वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील] द्वितीय संशोधन विनियम, 1992 का प्रकाशन दिनांक 27 मार्च, 1992 के जी एस आर सं० 372[ई] के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में हुआ था ।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2004

G.S.R. 223(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2004 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

**CPT EMPLOYEES' (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL)
3RD AMENDMENT REGULATIONS, 2004**

In exercise of powers conferred by Section 28 of MPT Act, 1963 (38 of 1963) and with sanction of the Central Government under Sub-Section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following Regulations to amend the CPT Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987.

1. Short Title -

These Regulations may be called the CPT Employees' (Classification, Control & Appeal) Third Amendment Regulations, 2004.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 -

(a) In Regulation 4, Classification of posts

- (i) The figures "Rs.1980/-" appearing in Clause (1) (b) shall be substituted by "Rs.15100/- (or as may be revised from time to time)".
- (ii) The figures "Rs.1679/-" and "Rs.1980/-" appearing in Clause (2) (a) shall be substituted by "Rs.11975/-" (or as may be revised from time to time)" and "Rs. 15100/- (or as may be revised from time to time)" respectively.
- (iii) The figures "Rs.927/-" and Rs.1679/-" appearing in Clause 3(a) shall be substituted by "Rs.7330/- (or as may be revised from time to time)" and "Rs.11975/- (or as may be revised from time to time)" respectively.
- (iv) The figure "Rs.927/-" appearing in Clause (4) shall be substituted by "Rs.7330/- (or as may be revised from time to time)".

- (b) A new Regulation viz. Regulation 8 (22) (iii) shall be inserted as follows :

Regulation 8(22)(iii) – Whenever the enquiry officer has furnished a report to the disciplinary authority at the conclusion of the enquiry holding the delinquent guilty of all or any of the charges with proposal for any particular punishment or not, the delinquent is entitled to a copy of such report for having an opportunity to make a representation if any, against said report before the disciplinary authority within fifteen days from the date of receipt of said report.

Provided that no such report is required to be given to the delinquent if the enquiry is conducted by the disciplinary authority himself.

- (c) Regulation 8A(1)(i) shall be substituted by following :

“The disciplinary authority if it is not itself the enquiry authority, may on perusal of the enquiry report and representation, if any, of the delinquent, remit the case to the enquiring authority, for further enquiry and report after recording its reasons in writing and the enquiring authority shall thereupon proceed to hold further enquiry as per Rule”.

- (d) In Regulation 8(A)(3) word “further” may be inserted in the last line after the word “any” and before the word “opportunity”.

- (e) Schedule A & B will be replaced by the following :-

Schedule A

Sl.No.	Category of Employees	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to clauses (i) to (ix) of Regulation (7)		Appellate Authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
1	Posts covered by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963.	Chairman Central Govt.	(i) to (iv) All	Central Govt. Central Govt.
2	Class-I posts other than those covered by Section 24 (1)(a) of MPT Act, 1963 having pay scales two levels/four levels above Class-I entry scale or higher in respect of employees of KDS/HDC respectively.	Dy.Chairman Chairman	(i) to (v) All	Chairman Central Govt.

3	All other Class I and Class II posts not included in Sl.No.1 and 2 above.	Dy.Chairman	All	Chairman
4	Class III	HOD(KDS)/ GM(HDC)	All	Dy.Chairman
5	Class IV	HOD(KDS)/ GM(HDC)	All	Dy.Chairman

Schedule B

Sl.No.	Description of employee	Appointing authority
1	Posts covered by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 24 of Major Port Trusts Act, 1963	Central Government
2	Class-I posts other than those covered by Section 24 (1)(a) of MPT Act, 1963 having pay scales two scales two levels/four levels above Class-I entry scale or higher in respect of employees of KDS/HDC respectively.	Chairman
3	All other officers of Class I & Class II	Dy.Chairman (H)/(K)
4	Class III & IV	Heads of Departments in Kolkata Dock System and General Managers in Haldia Dock Complex.

[F.No. PR-12016G/98-PE-1]

R. K. JAIN, Jr. Secy.

Note : The principal Regulations i.e. the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 were published in the Gazette of India vide G.S.R. No.700(E) dated the 10th August, 1987. The Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) 1st Amendment Regulations, 1988 were also published in the Gazette of India, extra ordinary vide G.S.R. No.474(E) dated the 20th April, 1988 and Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Second Amendment Regulations, 1992 were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. No.372(E) dated 27th March, 1992.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]
No. 203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2006/वैशाख 22, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2006/VAISAKHA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन बंद)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2006

स.का.नि. 284 (अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन विनियम 2006 का अनुमोदन करती है।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2006

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के खंड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), विनियम 1987 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- इन विनियमों का नाम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) चतुर्थ संशोधन विनियम 2006 होगा तथा ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), विनियम 1987 को अब से कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) विनियम 1987 के नाम से जाना जाएगा।

3. कलकत्ता पोर्टन ट्रास्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), विनियमों 1987 में
- (क) कलकत्ता शब्द को, जहाँ भी यह प्रकट हो, कोलकाता शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ख) निम्नलिखित उप-खंड (vi) को विनियम-3 के परन्तु शामिल किया जाएगा :-

समीक्षा समिति का तात्पर्य उस समिति से है, जो निलंबन के मामलों की समीक्षा करने के लिए न्यासी मंडल द्वारा गठित हो।

- (ग) निम्नलिखित उप-खण्डों (vii) व (viii) को विनियम 6 के परन्तु शामिल किया जाएगा :-

(vii) इस विनियम के अंतर्गत किया गया निलंबन आदेश या इस विनियम के अंतर्गत किए गए प्रतीत होने वाले आदेशों की समीक्षा, सक्षम प्राधिकरण द्वारा निलंबन को संशोधित या प्रतिसंशोधित करने के लिए की जानी चाहिए, जो निलंबन के आदेश की तिथि से 90 दिनों की समाप्ति के पूर्व इस उद्देश्य हेतु गठित समीक्षा समिति की सिफारिशों पर होगी, तथा ये निलंबन का विस्तार या प्रतिसंशोधन करते हुए, आदेश पारित कर सकते हैं। निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति के पूर्व ही अनुवर्ती समीक्षा की जाएगी। निलंबन की अवधि का विस्तार एक ही समय में एक ही अस्सी दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

(viii) उप-विनियम (v) व (vi) में किसी बात के होते हुए भी इस विनियम के उप-विनियम (i) या (ii) के तहत पारित किए गए निलंबन के किसी आदेश या पारित किए गए प्रतीत होने वाले आदेश नब्बे दिनों की अवधि के परन्तु तब तक मध्य नहीं सम्पत्ते जाएंगे, जब तक कि समीक्षा उपरोक्त इनका विस्तार आने की अवधि तक नब्बे दिनों की समाप्ति के पूर्व नहीं कर दिया जाता।

[फा. सं. पी आर-12016/32/2005 पी ई-1]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य विनियमों को दिनांक 10 अगस्त 1987 के भारत के राजपत्र सा.का.नि. 700(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रथम संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 20 अप्रैल 1988 के सा.का.नि. 474(अ) के तहत किया गया था, तथा द्वितीय संशोधन विनियम का प्रकाशन 27 मार्च 1992 के सा.का.नि. 372(अ) के तहत किया गया था। तथा तृतीय संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 25 मार्च, 2004 के सा.का.नि. 223 (अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2006

G.S.R. 284 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2006 made by the Board of Trustees of Kolkata Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) 4th Amendment Regulations, 2006

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act. 38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987.

1. Short title and commencement—These Regulations shall be called Kolkata Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) 4th Amendment Regulations, 2006 and shall come into effect from the date of publication in the official Gazette.

2. The Calcutta Port Trust Employee's (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987 shall henceforth be known as Kolkata Port Trust Employee's (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1987.

3. In the Calcutta Port Trust Employee's (Classification, Control and Appeal) Regulation, 1987,

(a) The word 'Kolkata' will replace 'Calcutta' wherever appearing.

(b) The following Sub-clause (vi) shall be inserted after Regulation 3 :—

"Review Committee shall mean a committee constituted by the Board of Trustees for review of cases of suspension"

(c) The following Sub-clauses (vii) and (viii) shall be inserted after Regulation 6 :—

"(vii) An order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the date of order of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

(viii) Notwithstanding anything contained in Sub-regulation (v) and (vi), and order of suspension made or deemed to have been made under Sub-regulations (i) or (ii) of this regulation shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days."

[F. No. PR-12016/32/2005 PE-1]

A. K. BHALLA, Jr. Secy.

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. 700(E) dated the 10th August 1987. The 1st Amendment regulation was published vide G.S.R. 474(E) dated the 20th April, 1988, the 2nd Amendment regulation was published vide G.S.R. 372(E) dated 27th March 1992 and the 3rd Amendment Regulation was published by G.S.R. 223(E) dated 26th March 2004.

Dated 12th May, 2006.

G.S.R. 284(E)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 25, 2010/कार्तिक 3, 1932

No. 592]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2010/KARTIKA 3, 1932

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 25th October, 2010

G.S.R. 856(E).—In the Notification (English version) of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number GSR 284(E), dated 12th May, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated 12th May, 2006, of Calcutta Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) 4th Amendment Regulations, 2006—

- (i) At page 2 under the Heading 'Schedule', in place of the word "Amendment" written in the title of the Regulations read "Amendment".
- (ii) At page 3 in line 1, in place of the word "Henceforth" read "henceforth".
- (iii) At page 3 in line 15 [i.e. 1st line of point (3)(c)(viii)], in place of the word "and" read "an".
- (iv) At second last line of page 3 (i.e. 3rd line of Note), in place of the word "27th" read "27th".

[F. No. PR- 12016/32/2005-PE.I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2191

नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2013/वैशाख 16, 1935

No. 2191

NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2013/VAISAKHA 16, 1935

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्वयं)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मां 2013

सा.का.नि.289(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा कोलकाता पत्तन के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 को इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, अनुमोदित करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फ. सं. पीआर-12016/11/2011-पीई-1]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील)

संशोधन विनियम, 2013

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उस अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा (i) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी से कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), विनियम 1987 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम

इन विनियमों का नाम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) संशोधन विनियम, 2013 होगा। ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील), विनियम 1987 का विनियम 8(9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

कर्मचारी अपने पक्ष में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य कर्मचारी (इसके आगे सहायक अधिकारी कहलाएगा) की सहायता ले सकता है लेकिन इस उद्देश्य के लिए किसी वकील को उक्त उद्देश्य हेतु तैनात नहीं कर सकता, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी वकील न हो अथवा मामले की परिस्थितियों के महत्वपूर्ण अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनुमति दी गई हो।

नोट : कर्मचारी किसी ऐसे अन्य कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा, जिसके पास (तीन) लॉबित अनुशासनिक मामले हों, जिसमें उसको सहायता देनी हो।

कर्मचारी मामले को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु किसी सेवा निवृत्त कर्मचारी की सहायता भी उन स्थितियों के अधीन ले सकता है जो कि इस हेतु बोर्ड द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हो।

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियमों को दिनांक 10 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र सा.का.नि. 700(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था। प्रथम संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 20 अप्रैल, 1988 के सा.का.नि. 474(अ) के तहत किया गया था, द्वितीय संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 27 मार्च, 1992 के सा.का.नि. 372(अ) के तहत किया गया था, तृतीय संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 26 मार्च, 2004 के सा.का.नि. 223(अ) के तहत किया गया था, चतुर्थ संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 12 मई, 2006 के सा.का.नि. 284(अ) के तहत किया गया था और पंचम संशोधन विनियम का प्रकाशन दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के सा.का.नि. 769(अ) के तहत किया गया था।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2013

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Amendment Regulations, 2013 made by the Board of Trustees for the Kolkata Port as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/11/2011-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

SCHEDULE

Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 2013

In exercise of the power conferred by Section 28 of M.P.T. Act, 1963 (38 of 1963) and with sanction of the Central Government under sub-section (i) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations to amend the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987.

1. **Short Title.**—These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Amendment Regulations, 2013. They will come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 8(9) of the Kolkata Port Trust Employees' (Classification, Control & Appeal) Regulations, 1987 shall be substituted by the following :—

The employee may take the assistance of any other employee (hereinafter called Assisting Officer) to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner, or, the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits:

Note—The employee shall not take the assistance of any other employee who has [three] pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

The employee may also take the assistance of a retired employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time by general or special order in this behalf.

Foot Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R. 700(E), dated the 10th August, 1987. The 1st Amendment Regulations was published vide G.S.R. 474(E), dated the 20th April, 1988, the 2nd Amendment Regulation was published vide G.S.R. 372(E), dated 27th March 1992, the 3rd Amendment Regulation was published by G.S.R. 223(E), dated 26th March 2004, the 4th Amendment Regulation was published by G.S.R. 284(E), dated 12th May, 2006 and the 5th Amendment Regulation was published by G.S.R. 769(E), dated 10th October, 2011.